खंड 3

उच्च शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन

खण्ड 3 उच्च शिक्षा का स्वरूप एवं प्रबन्धन

खण्ड परिचय

पाठ्यक्रम ''बी.ई.एस.सी. –132 "शिक्षा का स्वरूप एवं प्रबधन'' के खण्ड तीन में आपका स्वागत है। यह खण्ड भारत में उच्च शिक्षा के स्वरूप एवं प्रबन्धन को समर्पित है। भारतीय उच्च शिक्षा, विश्व के सबसे बड़े तत्रों में से एक है और इसके बहुत विविधता भी है। भारत के उच्च शिक्षा तंत्र में महाविद्यालय संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय, मानिय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, आदि सम्मिलित है। इसमें केवल संरचना, ही नहीं वरन प्रबधन की दृष्टि से भी अत्यधिक विविधता है। इस खण्ड की इकाईयाँ आपको उच्च शिक्षा संस्थानों के स्वरूप, विविधि प्रकार के प्रबन्धन, भारत में राज्य एवं केन्द्र सरकारों की भूमिका आदि के विषय में अपनी समझ विकसित करने मे मदद करेगी। हमने खण्ड मे उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे विभिन्न नियामक निकायों की भूमिका एवं प्रकार्यो का परीक्षण भी किया गया है।

इकाई 9 खण्ड की प्रथम इकाई **'भारत में उच्च शिक्षा : एक परिचय'** का प्रारम्भ भारत में औपचारिक तथा निरौपचारिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा होता है। संक्षेप मे, विविध प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों, औपचारिक, दूरस्थ एंव मुक्त शिक्षा तथा अनौपचारिक संस्थनों की चर्चा की गई है। उच्च शिक्षा में RUSA जैसी योजनाओं का विश्लेषण भी किया गया है। साथ ही इकाई CABE, यू.जी.सी. जैसी संस्थाओं की भूमिका एंव प्रकार्यो पर प्रकाश डालती है तथा उच्च शिक्षा में तात्कालिक विकास की चर्चा करती हैं।

इकाई 10 का शीर्षक है **"महाविद्यालयी एंव विश्वविद्यालयी शिक्षा"**। यह इकाई मुख्यतः भारत में महाविद्यालयों एंव विश्वविद्यालयों के प्रकार एंव प्रकृति, मानक प्रणाली, प्रबन्धन के प्रकार, पर प्रकाश डालती है। इकाई में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों मे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विषयों के प्रबन्धन हेतु विविध निकायों (विद्यापरिषद, कार्यपरिषद, वित्तीय प्रबन्धन निकाय, प्रशासक मंडल, प्रबन्धन मंडल, आदि) पर विस्तार से चर्चा है। साथ ही इकाई, तंत्र में सम्मिलित मानव संसाधन, इनके प्रकार व प्रबन्धन की भी चर्चा करती है।

इकाई– 11 तकनीकी एंव वृत्तिक शिक्षा', 10+2 के बाद के लिए विविध तकनीकी एंव प्रबन्धन शिक्षा संस्थानों के प्रकारों तथा प्रकृति का उल्लेख करती है। इकाई प्रबन्धन के प्रकारों तथा शैक्षणिक एवं प्रबन्धकीय मुद्दों को प्रबन्धित करने वाली इकाइयों की चर्चा करती है। साथ ही यह तकनीकी एंव व्यावसयिक शिक्षा को नियन्त्रित करने वाली विभिन्न नियामक संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषक भी करती है

इकाई– 12 मुक्त एंव दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा में मुक्त एंव दूरस्थ अधिकग के महत्व का उल्लेख करती है। इकाई में ओ.डी.एल. संस्थाओं के प्रकार, प्रबन्धन तंत्र व उनके कार्यकारी एंव नियामक प्रणाली की चर्चा है। इकाई का उद्देश्य ओ.डी.एल. की समझ आपने विकसित करना है साथ इकाई ऑनलाइन शिक्षा, इसका अर्थ प्रकृति और भारत में ऑनलाइन शिक्षा दे रहे संस्थानो का उल्लेख करती है।

इकाई 9 भारत में उच्च शिक्षाः एक परिचय

इकाई संरचना

9.1 परिचय

9.2 उद्देश्य

9.3 उच्च शिक्षाः एक अवलोकन

9.3.1 उच्च शिक्षा के लक्ष्य

9.3.2 भारत में उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक अवलोकन

9.4 भारत में उच्च शिक्षा की संरचना

9.4.1 उच्च शिक्षा के नियामक निकाय

9.5 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार

9.6 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL)

9.7 मैसिव ओपेन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC)

9.8 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा–RUSA)

9.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

9.10 शिक्षा के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (CABE)

9.11 सारांश

9.12 अभ्यास कार्य

9.13 संदर्भ सूची और उपयोगी अध्ययन सामग्री

9.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.1 परिचय

कक्षा बारहवीं के परिणाम प्रतीक्षित थे .... हर कोई अच्छे अंक की उम्मीद कर रहा था! बच्चों ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य और परिणामों की घोषणा के बाद उच्च शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की खोज जो की जा सकती है, उन पर चर्चा शुरू कर दी।

वे इंटरनेट पर खोज करने लगे। उन्होंने पाया कि विभिन्न संस्थानों द्वारा उनकी रुचि के क्षेत्रों में दी जाने वाले कई अध्ययन कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने उच्च शिक्षा से सम्बंधित कुछ प्रमुख शब्दों की पहचान कीः

> स्नातक कार्यक्रम, केंद्रीय विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित, आदि।

क्या आप जानते हैं कि ये प्रमुख शब्द क्या संकेत देते हैं? भारत में उच्च शिक्षा की संरचना क्या है? उच्च शिक्षा के संवर्ग क्या हैं? उच्च शिक्षा के प्रदाता कौन हैं? वे कौन सी एजेंसियां हैं जो उच्च शिक्षा में मानकों का निर्धारण करने के लिए बनायीं गयी हैं?

आइये इन कुछ प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई के अंत तक, आप :

- उच्च शिक्षा के लक्ष्यों की व्याख्या कर सकेंगे।
- भारत में उच्च शिक्षा की संरचना का वर्णन कर सकेंगे।
- उच्च शिक्षा की विभिन्न संवर्गों/धाराओं का अन्वेषण कर सकेंगे।
- विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अंतर कर सकेंगे।
- उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु मुक्त व दूरस्थ शिक्षा की भूमिका की जाँच कर सकेंगे, और
- उच्च शिक्षा में नियामक निकायों की पहचान कर सकेंगे।

9.3 उच्च शिक्षाः एक अवलोकन

भारत में औपचारिक शिक्षा तीन अलग–अलग चरणों या स्तरों पर दी जाती है, ये हैं :

प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है और विद्यालयी शिक्षा के दायरे में आती है। तृतीयक स्तर की शिक्षा विद्यालयी शिक्षा का अनुसरण करती है, और इसे उच्च शिक्षा के रूप में जाना जाता है। उच्च शिक्षा (HE-Higher Education) एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सीखने का एक रूप है जिसमें विद्यालयी शिक्षा के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से परे अध्ययन कार्यक्रम शामिल करता है। उच्च शिक्षा या तृतीयक शिक्षा विश्वविद्यालयों – (दोनों सार्वजनिक और निजी) महाविद्यालय और व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा से संदर्भित है।

सरकारी एजेंसियों द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थानों के रूप में अनुमोदित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं।

स्नातक की उपाधि को पूरा करने के लिए दिया गया समय तीन से चार साल और स्नातकोत्तर स्तर पर दो साल (उदाहरणः एम.एससी, एम.ए., एम.कॉम) हो सकता है। डॉक्टरेट उच्च शिक्षा स्तर पर दी जाने वाली उच्चतम शैक्षणिक डिग्री है। इसके आगे या आजीवन शिक्षा के लिए डिप्लोमा और प्रमाण पत्र की अवधि, छह महीने से दो साल तक हो सकती है। उच्च शिक्षा में मुख्य गतिविधियों में शिक्षण (प्रसारण, प्रसार और ज्ञान का आदान–प्रदान), अनुसंधान (बौद्धिक जांच के सभी संभावित क्षेत्रों में ज्ञान का निर्माण) और ज्ञान का विस्तार (समुदाय या समाज के लिए योगदान) सम्मिलित हैं।

9.3.1 उच्च शिक्षा के लक्ष्य

समीर को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक में प्रवेश मिला। वह खुश था, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट किया और साझा किया कि पिछले साल, उसके एक वरिष्ठ को, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उसे भारत में सबसे अधिक वेतन पैकेज की पेशकश की गयी थी। सोशल मीडिया पर उनके एक मित्र ने टिप्पणी की– क्या उच्च शिक्षा का लक्ष्य नौकरियों और वेतन तक सीमित है?

अगर आप समीर के दोस्तों में से एक होते तो आप सवाल का जवाब कैसे देते?

उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान, कौशल, और योग्यता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो उन्हें समाज के सक्रिय सदस्य बनने में सक्षम बना सकते हैं। यह अंधविश्वास और पूर्वाग्रहों से हमारे मन को मुक्त करने के लिए तर्क और वितर्क के साथ सोचने के उपकरण देता है। उच्च शिक्षा, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और योग्यता को विकसित करती है जिससे वह जीवन में अपने लक्ष्यों, सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। यह व्यक्ति को उसके सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश में मौजूद अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाता है और उसकी क्षमता का सबसे अच्छा योगदान देता है। यह व्यक्ति की गंभीर रूप से प्रतिबिंबित, समीक्षा और उसके समुदाय में प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं को बदलने की क्षमता का पोषण करता है।इसके अतिरिक्त, यह शांति, बंधुत्व, अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को विकसित करता है और एक व्यक्ति के संबंध को उसकी संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था और वातावरण के साथ देखने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। व्यक्तियों को शिक्षित करके और उन्हें प्रासंगिक कौशल और दक्षताओं के साथ प्रशिक्षित करके, उच्च शिक्षा श्रम बाजार के लिए मानव पूंजी प्रदान करती है। वर्तमान में, ज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञता के बिना कोई नौकरी करने या किसी वृत्ति या व्यवसाय में प्रवेश की उम्मीद कर सकता है। सभी आर्थिक प्राप्ति ज्ञान संचालित व ज्ञान निर्भर है। उच्च शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल के साथ तैयार करती है जिससे वे एक अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर सकें, जैसे– एक व्यावसायिक के रूप में। उच्च शिक्षा भी शिक्षा के सभी चरणों में औपचारिक शिक्षा का समर्थन करने के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्माण करती है, उदाहरण– शिक्षक शिक्षा (बी.एड, एम.एड), जो विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है।

उच्च शिक्षा का लाभ केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, अपितु वे समाज के लिए भी लाभ उपार्जित करते हैं। एक शिक्षित आबादी, नागरिक गतिविधियों में भाग लेती है क्योंकि नागरिक, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता और लाभों से अवगत होते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं।

उच्च शिक्षा और आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच एक सकारात्मक संबंध है। शिक्षित लोगों के पास बेहतर रोजगार के अवसर हैं, वे उच्च वेतन अर्जित करते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

9.3.2 भारत में उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक अवलोकन

भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान संरचना अपने संगठन और निष्पादन के मामले में औपनिवेशिक प्रणाली से प्रभावित है। परन्तु अंग्रेजों के भारत आने से पहले, भारत में वैदिक काल से ही उच्च शिक्षा की समृद्ध परंपरा थी। इस अवधि में, गुरुकुल उच्च शिक्षा के केंद्र थे। उच्च शिक्षा की प्रकृति गुरु और शिष्य के बीच के संबंधों पर आधारित थी। प्रत्येक शिष्य को एक गुरु, एक शिक्षक चुनना होता था। एक शिक्षक के मार्गदर्शन में, शिष्य शास्त्रों और स्मृतियों का अध्ययन करते थे, उद्देश्य था, आत्मा की सुद्धि। कौशल–आधारित शिक्षा का भी प्रावधान था। कुशलकर्मियों के एक समुदाय को 'गिल्ड्स' के रूप में जाना जाता है, जहां कला और शिल्प के विशेषज्ञों ने अपने संबंधित डोमेन में शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान किए। बौद्ध काल में, मठ सीखने के केंद्र के रूप में उभरे। इन केंद्रों पर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन हुआ। मठों ने चीन, नेपाल, तिब्बत आदि से कई विदेशी छात्रों को आकर्षित किया। वेद, वेदांग, लोकायत, खगोल विज्ञान, संस्कृत और पाली साहित्य प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभ विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन केंद्रों ने समस्याओं का सामना किया और मध्ययुगीन भारत में विदेशी आक्रमणों के कारण होने वाले सामाजिक और राजनीतिक विकार के तहत जीवित नहीं रह सके। भले ही इन संस्थानों ने अपनी पहचान खो दी, लेकिन वे पूरी तरह से गायब नहीं हुए। वे मदरसों के साथ सह–अस्तित्व में थे जो उच्च शिक्षा के नए केंद्रों के रूप में उभरा था। वे ज्ञान और जानने की इस्लामी परंपरा से प्रभावित थे। मदरसों में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषा थी।

इस अवधि के बाद, अंग्रेजों द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों, अर्थात् विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। 1818 में, अंग्रेजों ने भारत में कोलकाता के पास सेरामपुर में औपचारिक शिक्षा के पश्चिमी मॉडल पर आधारित पहला महाविद्यालय स्थापित किया। इसके बाद, कई महाविद्यालय आगरा, बॉम्बे, मद्रास, नागपुर और पटना, जैसे– महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों में स्थापित किए गए। 1857 में, तीन विश्वविद्यालयों– कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की गई थी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ब्रिटिश दर्शन की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने और भारतीय दर्शन, साहित्य और कला के स्थान पर पश्चिमी कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए स्नातकों का उत्पादन करना था। लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल को अपनाया गया था और इन विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय के छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए प्रशासनिक, संबद्ध और जांच निकायों के रूप में स्थापित किया गया था। 1857 में, इन विश्वविद्यालयों से संबद्ध 25 महाविद्यालय थे। महाविद्यालयों की संख्या हालांकि धीरे–धीरे बढ़ी। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में नए विश्वविद्यालयों को खोलने की मांग बढ़ी और कई नए विश्वविद्यालय खोले गए। आजादी के समय, 1947 में भारत में 19 विश्वविद्यालय थे, वे सभी औपनिवेशिक भारत के प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्रों में स्थित थे, जिससे इन शहरों के बाहर रहने वालों के लिए इन संस्थानों तक पहुँच मुश्किल हो गई थी। भारत में शिक्षा औपनिवेशिक काल के दौरान अभिजात्य थी, जिससे की वो सीमित लोगों, तक पहुंच पाती थी। अधिकांश लोगों के लिए, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल था।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) प्राचीन काल में शिक्षा में 'गिल्ड्स' का क्या महत्व था?

.....

.....

.....

.....

.....

2) लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल के बाद भारत में स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों की विशेषताएं क्या थीं?

.....

.....

.....

.....

.....

9.4 भारत में उच्च शिक्षा की संरचना

यद्यपि शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है, इसकी एक औपचारिक, अनुक्रमिक संरचना और परिभाषित उद्देश्य हैं। सामान्य शिक्षा सीखने का व्यवस्थित और संरचित तरीका है। यह कक्षा–कक्ष आधारित है और विभिन्न एजेंसियों और शैक्षिक निकायों द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। छात्र माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा पूरा होने पर उच्च शिक्षा में शामिल होते हैं। वे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य समान संस्थान में जाते हैं और अध्ययन के पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षण–अधिगम गतिविधियों में भाग लेते हैं। पाठ्यक्रमों के बीच संरचना, गतिशीलता और अंतर–श्रृंखला, पूर्व–परिभाषित है और डिग्री या डिप्लोमा अर्जित करने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाता है।

इस तरह की संरचना को उच्च शिक्षा की औपचारिक संरचना के रूप में जाना जाता है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में डिग्री हासिल करने के कई गैर–औपचारिक तरीके हैं। कोई भी अनौपचारिक शिक्षा छात्रों को समय और स्थान की संरचनात्मक बाधाओं से परे अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति देती है। यह उन्हें अपनी रुचि को आगे बढ़ाने और ज्ञान की खोज के लिए अंशकालिक कार्यक्रमों में संलग्न होने का अवसर प्रदान करता है। प्रौढ़ और सतत शिक्षा कार्यक्रम, भाषा, संस्कृति और लोकतंत्र पर विशेष कार्यक्रम, व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम ज्यादातर अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा के बीच वैचारिक अंतर बॉक्स 1 में स्पष्ट रूप से दिया गया है।

औपचारिक शिक्षा परिभाषित और श्रेणीबद्ध संस्थागत संरचना के भीतर एक व्यवस्थित, संरचित और संगठित अधिगम की प्रक्रिया को दर्शाती है। यह प्रायः पूर्णकालिक होता है और इसमें अच्छी तरह से परिभाषित चरण होते हैं। यह एक औपचारिक कक्षा कक्ष में होता है जहाँ शिक्षक और छात्र उपस्थित होते हैं।

गैर–औपचारिक शिक्षा भी जानकर और संगठित सीखने की गतिविधियों के बारे में है, लेकिन ये तंत्र, समय और स्थान की सीमा के भीतर काम नहीं करता है। यह एक औपचारिक कक्षा की चार दीवारों से परे होता है। यह उन लोगों को शिक्षा प्रदान

करता है जो अन्यथा औपचारिक शिक्षा को छोड़ देते हैं। यह औपचारिक शिक्षा के बाद सीखने का एक विस्तार है। यह अपने समय और संसाधन की कमी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की आवश्यक्ताओं को पूरा करता है। MOOC के माध्यम से शिक्षा और शिक्षा का मुक्त व दूरस्थ अधिगम तंत्र (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम–ODL) निरौपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण हैं।

अनौपचारिक शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ एक व्यक्ति अपने वातावरण जिसमे परिवार,साथी, कार्य स्थान, आदि है, के दैनिक अनुभव से सीखता है।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा की दुनिया में नामांकन के सन्दर्भ में तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। वर्तमान में लगभग 36.6 मिलियन छात्र उच्च शिक्षा (HE) में नामांकित हैं.

इस संरचना में योग्यता के तीन स्तरों शामिल हैं :

स्नातक या अन्डर ग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रम : अधिकांश स्नातक की डिग्री कार्यक्रम तीन साल की अवधि के होते हैं और छात्र द्वारा विद्यालयी शिक्षा के बारह साल पूरे करने के बाद ही प्रदान किये जाती है। बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) बैचलर इन साइंस (B.Sc) और बैचलर ऑफ कॉमर्स (B. Com) कुछ ऐसे लोकप्रिय स्नातक कार्यक्रम हैं जिनमें तीन साल के अध्ययन की आवश्यकता होती है। स्नातक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा चार साल की अवधि की हैः इंजीनियरिंग, कृषि, फार्मेसी और दंत चिकित्सा में अध्ययन कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण हैं। चिकित्सा की स्नातक की डिग्री कार्यक्रम, एक अपवाद है, यह 5 साल की अवधि का है। शिक्षा और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री कार्यक्रम भी है। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें पूरा किया जा सकता हैय इसलिए, उन्हें दूसरी स्नातक डिग्री के रूप में माना जाता है। कानून जैसे कुछ नवीन एकीकृत स्नातक कार्यक्रम हैं जो उदार शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं।

मास्टर/परास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्रामः वे आमतौर पर दो साल के पाठ्यक्रम हैं। एक परास्नातक स्तर का कार्यक्रम विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ कठोर अनुशासनात्मक प्रशिक्षण देता है। अधिकांश पाठ्यक्रम बुनियादी अनुसंधान प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

प्री–डॉक्टरल और डॉक्टरेट कार्यक्रमः इनमें मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.) और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले विद्वानों को अपने शोधों में कठोर अनुसंधान पद्धति से गुजरना पड़ता है। छात्रों को डिग्री अर्जित करने के लिए एक मूल शोध कार्य का उत्पादन करने की उम्मीद की जाती है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के मानदंड का अन्वेषण करें।

.....

.....

.....

.....

4) आपके क्षेत्र में परास्नातक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संरचनाएं क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

5) भारत में विज्ञान/सामाजिक विज्ञान के कुछ सर्वश्रेष्ठ/उच्च सम्मानित अनुसंधान संस्थानों के बारे में खोज कर लिखे।

.....

.....

.....

.....

.....

9.4.1 उच्च शिक्षा में नियामक निकाय

आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय और पाठ्यक्रमित। राज्य सरकारें उच्च शिक्षा को विनियमित करने, निष्पादित करने और मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र में शिक्षा, उच्च शिक्षा की संरचनात्मक ढांचे के शीर्ष पर है।

शिक्षा मंत्रालय

शिक्षा मंत्रालय पूरे देश हेतु शिक्षा के लिए नीति ढांचा प्रदान करता है और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है। यह अधिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा में अवसरों के विस्तार की योजना बना रहा है, जिससे महिलाओं और गरीबों सहित वंचित समूहों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह शिक्षा के वित्तपोषण के लिए भी उत्तरदायी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) 1985 में बनाया गया था, इससे पहले, मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2020 में इसे पुनः शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा। शिक्षामंत्रालय दो विभागों के माध्यम से अपनी उत्तरदायित्वो का निष्पादन करता है :

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग : यह विद्यालय शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों को देखता है।

उच्च शिक्षा विभागः यह विभाग उच्च शिक्षा की नीति, योजना, वित्त व्यवस्था से संबंधित है। यह उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों से भी संबंधित है। विभाग समानता और उत्कृष्टता के साथ उच्च शिक्षा में पहुंच हेतु सुधार के लिए कई नीतिगत पहल करता है। यह राज्य के विशिष्ट सुधारों के लिए रणनीति तैयार करता है। यह पाठ्यक्रम के विकास और इसके कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करता है तथा परीक्षा संबंधी सुधारों का सुझाव देता है। शासन का रखरखाव और निगरानी भी इसके दायरे में आता है।

इसके प्रयासों को उच्च शिक्षा के संस्थागत आधार के विस्तार के लिए निर्देशित किया जाता है। उच्च शिक्षा में बढ़ी हुई पहुंच और भागीदारी को शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के लिए स्वीकार किया जा सकता है। यह समाज के विभिन्न हाशिए पर रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अभिनव कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहा है। यह उच्च शिक्षा के केंद्रों में गुणवत्ता वृद्धि प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना और बनाए रख रहा है। यह संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई शैक्षणिक सुधारों का भी नेतृत्व कर रहा है। नियामक निकाय सरकारी निकाय हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि नियमों, मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और ठीक से लागू किया जाता है। वे शिक्षण–शिक्षण में मानकों और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में मुख्य नियामक निकाय निम्नलिखित हैं:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी): इसे यूजीसी अधिनियम के तहत 1956 में स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय और रखरखाव करता है। यह विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई): भारत में गुणवत्ता तकनीकी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में एआईसीटीई अधिनियम (1987) के तहत इसकी की स्थापना की गई है। तकनीकी संस्थानों के मानकों और मानदंडों को परिभाषित करने के लिए इसे वैधानिक अधिकार दिया गया है। यहे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने, निगरानी करने के लिए बनाया गया।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई): भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (1956) द्वारा स्थापित की गई और 1993 में संशोधित किया गया। परिषद भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक चिकित्सा शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करती है। नए मेडिकल महाविद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देना और अध्ययन के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने की सिफारिश करना परिषद की जिम्मेदारी है। 2018 में, MCI को भंग कर दिया गया और वर्ष 2019 में, भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन,2019 पारित किया गया। अब भारत में चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर): यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के मार्गदर्शन, समन्वय और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। 101 कृषि अनुसंधान संस्थान और 71 कृषि विश्वविद्यालय इसके दायरे में आते हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) : यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम,1993 के तहत स्थापित किया गया है। इसे यह जिम्मेदारी दी गई है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को परिभाषित करने और मानदंडों की सिफारिश करने की सुविधा प्रदान करें व शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में मानक की संस्तुति भी प्रस्तुत करता हैं। यह विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार है।

दंत चिकित्सा परिषद (DCI) : दंत चिकित्सा शिक्षा और पूरे भारत में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में दंत चिकित्सा अधिनियम (1948) के तहत इसका गठन किया गया है। यह दंत शिक्षा के लिए मानकों को

बनाए रखने और दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम को निर्धारित करने और भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा की परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) : पीसीआई का गठन फार्मेसी अधिनियम, (1948) की धारा 3 के तहत किया गया था। यह भारत में फार्मेसी शिक्षा और व्यवसाय को स्नातक स्तर तक नियंत्रित और नियमित करता है। परिषद फार्मासिस्ट के रूप में शिक्षा का न्यूनतम मानक या आर योग्यता निर्धारित करती है।

भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम (1947) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। परिषद दाइयों, नर्सों, सहायक नर्स–दाइयों और स्वास्थ्य आगंतुकों के लिए प्रशिक्षण के एक समान मानक के विनियमन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई): बीसीआई एक वैधानिक निकाय है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित किया गया है। यह कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है और अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्ति के वर्ग या श्रेणी को निर्धारित करता है। यह उन शर्तों को भी निर्दिष्ट करता है जिनके अधीन एक अधिवक्ता को अभ्यास करने का अधिकार होना चाहिए और जिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को एक अदालत में एक वकील के रूप में अभ्यास करने के लिए समझा जाना चाहिए। यह उन संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है, जिनकी कानून में डिग्री व्यावसायिक तौर पर खुद को वकील के रूप में नामांकित करने के लिए योग्यता के रूप में माना जाएगा।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (CCH) की स्थापना होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम (1973) के तहत की गई थी। परिषद होम्योपैथिक चिकित्सा योग्यताओं को निर्धारित करती है और उन्हें मान्यता देती है। कोई भी चिकित्सा संस्थान जो होम्योपैथी में चिकित्सा योग्यता प्रदान करना चाहता है, उसे होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा चलाने के लिए परिषद में आवेदन करना आवश्यक है। होम्योपैथी के एक केंद्रीय रजिस्टर के गठन और रखरखाव के लिए परिषद जिम्मेदार है।

सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन (CCIM): यह भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम,1970 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तिब्ब में शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। परिषद भारतीय चिकित्सा का एक केंद्रीय रजिस्टर रखता है। यह चिकित्सकों द्वारा व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानकों को दर्शाने के कार्य देखता है।

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए): सी.ओ.ए का गठन भारत की संसद द्वारा अधिनियमित आर्किटेक्ट्स अधिनियम (1972) के प्रावधानों के तहत किया गया था। सीओए आर्किटेक्ट्स के पंजीकरण, शिक्षा के मानकों, मान्यता प्राप्त योग्यता और अभ्यास के मानकों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है। यह आर्किटेक्ट्स के रजिस्टर को बनाए रखने के अलावा पूरे भारत में व्यावसायिक शिक्षा और व्यवहार को विनियमित करने के लिए भी जिम्मेदार है। ''आर्किटेक्ट'' के पेशे में जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में स्वयं को पंजीकृत करना चाहिए।

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) : इसका गठन, 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम द्वारा किया गया है। इसका जनादेश दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और निगरानी करना है। यह मानकीकृत और अलग–अलग दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करता है। यह उन लोगों की व्यावसायिक तैयारी की गुणवत्ता को देखता और सुनिश्चित करता है जो अलग–अलग रूप से दिव्यांग व्यक्ति को अपनी सेवाएं देते हैं।

बोध प्रश्न

नोटः क) नीचे दिए गए स्थान पर अपने उत्तर लिखें।

ख) अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान करें।

6) तालिका 'बी' से उपयुक्त विकल्पों के साथ 'ए' तालिका का मिलान करें।

तालिका 'ए'	तालिका 'बी'
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)	कृषि विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)	लॉ विद्यालय
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)	इंजीनियरिंग महाविद्यालय
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)	शिक्षक शिक्षा संस्थान

9.5 उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रकार

भारत में विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान–विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं। वे अपनी विधायिका स्थिति और शैक्षणिक संरचना में भिन्न होते हैं। उन्हें निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

विश्वविद्यालय का प्रकार	विश्वविद्यालयों की संख्या
केंद्रीय विश्वविद्यालय	45
केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	1
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	101
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	351
राज्य विधायिका अधिनियम के तहत संस्थाएं	5
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	14
राजकीय निजी विश्वविद्यालय	262
राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय	1
डीम्ड यूनिवर्सिटी– सरकार	33
डीम्ड यूनिवर्सिटी– सरकार से सहायता प्राप्त	10
डीम्ड यूनिवर्सिटी–प्राइवेट/निजी	80
कुल	**903**

स्रात : AISHE-2017-18)

केंद्रीय विश्वविद्यालयः एक केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। वर्तमान में भारत में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय : इस प्रकार के विश्वविद्यालय, राज्य विधान अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में 318 राज्य विश्वविद्यालय हैं।

मुक्त विश्वविद्यालय : इस श्रेणी में आने वाले संस्थान किसी भी शाखा या ज्ञान की शाखाओं में मुक्त और दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान में केवल एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं।

डीम्ड विश्वविद्यालयः डीम्ड विश्वविद्यालय उच्च प्रदर्शन करने वाले संस्थान हैं। उन्हें एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है और वे अपनी ही डिग्री प्रदान कर सकते हैं। AISHE (2017–18),के अनुसार, वर्तमान में 33 डीम्ड यूनिवर्सिटी–सरकारी, 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी–सरकारी द्वारा सहायता प्राप्त व 80 डीम्ड यूनिवर्सिटी–प्राइवेट/निजी हैं।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानः कई HE संस्थान हैं जिन्हें संसद के एक अधिनियम द्वारा 'राष्ट्रीय महत्व' का दर्जा दिया गया है, वर्तमान में 101 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं।

निजी विश्वविद्यालयों : राज्य/केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, लेकिन उनके प्रबंधन का ध्यान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और या उस समय के लिए किसी अन्य संबंधित कानून के तहत पंजीकृत कराया जाता है, जो कि राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या एक्ट में लागू होता है व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत राज्य/केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से पंजीकृत है। वर्तमान में २६२ राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं।

राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संस्थानः ये राज्य विधायिका अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित संस्थान हैं। वे उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर का ही सम्मान लेते हैं। वर्तमान में 5 ऐसे संस्थान हैं।

एक विश्वविद्यालय, शिक्षण सह संबद्धता या केवल संबद्धता या केवल शिक्षण विश्वविद्यालय हो सकता है। भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में अच्छी संख्या में सम्बंधित महाविद्यालय हैं। महाविद्यालय सरकारी, सहायता प्राप्त सरकारी और निजी हो सकते हैं।

9.6 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL)

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) प्रणाली उच्च अध्ययन के लिए एक शिक्षार्थी केंद्रित माध्यम प्रदान करती है, जहां शिक्षार्थी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सीखने में संलग्न हो सकते हैं। किसी विशेष समय और स्थान पर उपस्थित होने की कोई बाध्यता नहीं है और न ही किसी निश्चित समय सीमा के भीतर किसी भी कठोर पाठ्यक्रम संरचना का सख्ती से पालन किया जाना है। प्रवेश के संदर्भ में प्रणाली लचीली है, यह उन लोगों को आसान पहुँच प्रदान करता है जो औपचारिक प्रणाली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। यह अध्ययन और प्रवेश के तरीकों में शिक्षार्थियों की सुविधा और जरूरतों को संबोधित करता है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की सहायता से प्रदान की जाती है, जो शिक्षा के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। पारंपरिक पाठ्यक्रमों और अध्ययन के कार्यक्रमों के साथ, ओडीएल विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में आजीवन सीखने

और व्यावसायिक विकास के अवसर भी प्रदान करता है, जो स्वयं करने के अनुभवों के माध्यम से कौशल विकास के उपयुक्त अवसरों के साथ होता है।

ओडीएल के लिए शिक्षण सामग्री

सीखने के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना ओडीएल के प्रमुख घटकों में से एक है। ओडीएल माध्यम में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों में इसके लिए बड़ी संख्या में अध्ययन केंद्र हैं। अध्ययन केंद्रों पर, शिक्षार्थी शैक्षिक निर्देशक/पथप्रधार्शक साथियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर सकते हैं। वे पुस्तकालयों और अन्य मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा का शैक्षणिक दृष्टिकोण स्व–पुस्तक सीखने पर आधारित है। व्क्स् पाठ्यक्रम में स्व–अनुदेशात्मक लिखित सामग्री, श्रव्य–दृश्य सामग्री, टेलीकांफ्रेंसिंग, इंटरएक्टिव रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में शिक्षण सामग्री शामिल है।

ओडीएल प्रणाली की विशेषताएं

समय, गति, स्थान, आयु और प्रवेश मानदंड के संदर्भ में ओडीएल प्रणाली, लचीली है। शिक्षार्थी अपनी सुविधानुसार अपनी गति से अध्ययन कर सकता है। यह लचीली प्रणाली तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित बनाता है।

ओडीएल प्रणाली लागत प्रभावी है क्योंकि यह पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं पर काम करती है, यह बड़ी संख्या में छात्रों को दाखिला देती है। ओडीएल में शामिल होने वाले छात्र, प्रणाली को बहुत कम लागत वाला पाते हैं क्योंकि इससे उन्हें परिवहन की लागत बचाने में मदद मिलती है, हर दिन संस्थान का खर्च होता है और अध्ययन सामग्री आदि पर खर्च होता है, भी बचता है।

अध्ययन का समय और गति और सीखने का समय शिक्षार्थियों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। किसी भी कठिनाई के मामले में, वे अपने परमर्शदाता से ऑनलाइन और ऑफलाइन मदद ले सकते हैं। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग है, जो उच्च शिक्षा सामाजिक–आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया है, ओडीएल प्रणाली उन्हें शिक्षा को लचीला और सीखने के अनुकूल बनाकर अध्ययन करने के अवसर प्रदान करती है। ओडीएल प्रणाली उन लोगों के लिए ज्ञान उन्नयन और कौशल विकास के अवसर भी प्रदान करती है जो अपने कार्यध् कार्यक्रम को बाधित किए बिना काम कर रहे हैं या सेवा में हैं।

भारत में ओडीएल संस्थान

भारत में, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, 1982 में स्थापित किया गया था जो ओडीएल माध्यम में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान में यह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1985 में, केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की स्थापना की। वर्तमान में भारत में एक केंद्रीय और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं।

9.7 MOOC–मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम)

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ने उच्च शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने का एक अवसर प्रदान किया है। हालांकि मुक्त व दूरस्थ (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) कार्यक्रम पहले से ही थे, लेकिन आईसीटी के उपयोग के कारण शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया गया है। अगर

उसके पास इंटरनेट है तो कोई भी किसी भी समय कहीं भी सीख सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट क्रांति ने मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के रूप को जन्म दिया है। MOOC वैश्विक स्तर पर और असीमित भागीदारी के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश के प्रभावी तरीकों में से एक हैं। MOOC, एक मंच के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं। कोर्सइरा, एडएक्स और उडोसिटी, एमओओसी प्लेटफॉर्म के कुछ उदाहरण हैं। यह उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, शैक्षिक आधारभूत संरचना की चुनौतियों का सामना करने और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर है।

स्वयं (SWAYAM)

Swayam (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) एक हाई विद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मेजबानी के लिए एक वेब आधारित अंतःक्रिया हेतु मंच है। ये कभी भी, कहीं भी मल्टीमीडिया का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। SWAYAM पर दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुंच और निगरानी करना आसान है। यह एक अंतःक्रिया का अबसारी क्षेत्र है जहां सहपाठियों के साथ समूह चर्चा व अंतःक्रिया होती है। कई पाठ्यक्रमों में हाइब्रिड मॉडल द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन द्वारा पाठ्य वास्तु प्रदान की जाती है। "MOOC" मंच पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों को चतुर्भुजी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विकसित किया गया है।

आप MOOC वेबसाइट पर जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या आपके लिए कोई पाठ्यक्रम उपलब्ध है, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक विषयवस्तु दी गई है। यह पाठ्यक्रम, सीखने के परिणामों और भागीदारी की अपेक्षाओं का वर्णन करता है। इसमें कोर्स समयसीमा, प्रदत्त कार्य और चर्चाओं के बारे में जानकारी आदि का भी उल्लेख किया गया है।

9.8 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए ईमानदार प्रयास किए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (RUSA) जैसे दो प्रमुख कार्यक्रमों ने उच्च शिक्षा के लिए जनसमूह की गतिशीलता बनाई है। उच्च शिक्षा प्रणाली को बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) शुरू किया। योजना का उद्देश्य है : राज्य स्तर पर, पहुंच, समानता और गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए उच्च शिक्षा । इसका उद्देश्य मौजूदा राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को उनकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के लिए विकसित करना है।

रूसा (RUSA) के उद्देश्य

यदि आप रूसा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं, तो आपको निम्नलिखित उद्देश्य सूचीबद्ध मिलेंगे :

- यह सुनिश्चित करना कि राज्य संस्थान उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा करते हैं। वे मान्यता की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं।
- योजना और निगरानी के लिए एक संस्थागत संरचना बनाना, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना और शासन में सुधार करना।

- संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली से संबंधित सुधार सुनिश्चित करना।
- संकाय शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
- अनुसंधान और नवाचार के अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना और बनाए रखना।
- मौजूदा संस्थानों की अतिरिक्त क्षमता का विस्तार करना और उन्हें सुलभ बनाने के लिए नए संस्थानों की स्थापना करना।
- नए संस्थानों की स्थापना करके क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे को संबोधित करना।
- समाज के विभिन्न सीमांत समूहों को उच्च शिक्षा में अवसर प्रदान करना।

रूसा के मार्गदर्शक सिद्धांत

यदि आप रूसा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आपको योजना के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत मिलेंगे:

गुणवत्ता और अनुसंधान पर केन्द्रित: रूसा की कल्पना है कि सभी राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को सबको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि उच्च शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पहुंच उच्च गुणवत्ता मानकों के बिना उच्च फलदायी नहीं होगी। यह बल देता है कि सभी राज्य संस्थानों को NAAC (नैक) मान्यता से गुजरना चाहिए ताकि न्यूनतम गुणवत्ता आश्वासन दिया जाए। इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों को अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें संसाधन और धन उपलब्ध कराया जाएगा, इस आधार पर कि उन्हें अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है जो विभिन्न मानदंड जैसे शोध प्रकाशनों की संख्या, पत्रिकाओं के प्रभाव कारक जिसमें पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, उद्धरण, शोध निधि की राशि को आकर्षित किया जाता है, आदि का उपयोग अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। राज्यों के संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस क्षेत्र में ईमानदारी से अपनी वर्तमान स्थिति की घोषणा करें और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग सहित सुधार के लिए विशिष्ट रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करें।

मानक आधारित व प्राप्य आधारित वित्तीय सहायता: रूसा (RUSA) अनुदान प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे इस तरह से रूपांकित किया गया है कि वित्तीय आदर्श आधारित है और भविष्य के अनुदान परिणाम पर निर्भर हैं। शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत धन की पिछली उपलब्धियों और उपयोग के आधार पर भविष्य के वित्तपोषण का निर्णय लिया जाता है।

प्रोत्साहन और विघटन: योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और कम प्रदर्शन को विघटित करने की कल्पना की जाती है। इस प्रकार, प्रक्रिया चालित और प्रतिस्पर्धी होगी।

अराजनैतिक निर्णय लेना: रूसा (RUSA) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि योजना के तहत सभी निर्णय निष्पक्ष, अपारंपरिक और व्यावसायिक तरीके से किए जाएं। इसलिए, यह प्रदर्शन–आधारित मूल्यांकन को अपनाता है। यह भी अपेक्षा करता है कि राज्य सुधारों को निष्पादित और सुविधाजनक बनाते हुए निष्पक्ष, उदासीन और व्यावसायिक होंगे।

स्वायत्तता: रूसा गुणवत्ता और जवाबदेही के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वायत्तता की परिकल्पना करता है। इसलिए, यह संस्थानों को उनकी विशेष आवश्यकताओं और जरूरतों के आधार पर विशिष्ट हस्तक्षेप की योजना बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है।

प्रकटीकरण–आधारित शासनः भाग लेने वाले संस्थानों को छात्रों, अभिभावकों और समाज के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। प्रकटीकरण–आधारित शासन को भी बरकरार रखा जाता है, जहां कोई भी संस्था अपने नियामक अधिकारियों के साथ–साथ अपने ग्राहकों के लिए भी जिम्मेदार होती है।

समानता आधारित विकासः रूसा योजना के तहत पहल का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समूहों अर्थात महिलाओं, जनजातियों और अलग–अलग लोगों के लिए समान अवसर तैयार करना होगा।

रूसा के घटक

रूसा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, योजना के प्राथमिक घटक निम्नलिखित हैं :

- मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन
- महाविद्यालयों को समूह विश्वविद्यालयों में बदलना
- विश्वविद्यालयों को आधार–संरचना अनुदान
- नए मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना
- मौजूदा डिग्री महाविद्यालयों का मॉडल महाविद्यालयों में उन्नयन
- नए व्यावसायिक महाविद्यालयों का विकास करना
- महाविद्यालयों को आधार–संरचना अनुदान
- अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार
- समानता की पहल
- संकाय भर्ती का समर्थन
- संकाय में सुधार
- उच्च शिक्षा का व्यावसायिककरण
- शैक्षिक प्रशासकों का नेतृत्व विकास
- क्षमता निर्माण और तैयारी, डेटा/प्रदत्त संग्रह और नियोजन

(स्रोत : रूसा वेबसाइट)

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

7) रूसा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। सही कक्षों के सामने निशान (√) लगाये

1) रूसा योजना राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित है। ( )

2) रूसा योजना उच्च शिक्षा के परीक्षा सुधारों तक सीमित है ( )

3) रूसा योजना में मौजूदा संस्थानों के उन्नयन और नए संस्थानों की स्थापना, दोनों शामिल हैं। ( )

9.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

उच्च शिक्षा में नीतिगत दिशानिर्देशों और निर्देशों की सिफारिश करने के लिए वर्ष 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने ब्रिटेन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मॉडल के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की। यूजीसी 1953 में अस्तित्व में आया। यह संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में एक वैधानिक निकाय बन गया। यूजीसी को दो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं: विश्वविद्यालयों को धन मुहैया कराना और देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव। यदि आप UGC की वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप इसका शासनादेश निम्नानुसार पा सकते हैं :

- विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना
- विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रखरखाव
- शिक्षा के न्यूनतम मानकों में नियम बनाना
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी करना, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देना
- केंद्र और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा करना
- विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना

9.10 शिक्षा का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (CABE)

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) राष्ट्रीय स्तर का निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा में मुद्दों के बारे में सलाह देता है। CABE को 1920 में स्थापित किया गया था और 1923 में भंग कर दिया गया था। इसे 1935 में पुनर्गठित किया गया था और 1994 तक जारी रखा गया। CABE शैक्षिक नीति और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा और सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CABE को 2004 में पुनर्गठित किया गया था। बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, विभिन्न हित समूहों के प्रतिनिधि और लोकसभा और राज्यसभा के नामित सदस्य शामिल हैं। CABE के कार्य इस प्रकार हैं:

- समय–समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना
- केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा शिक्षा नीति को किस हद तक लागू किया गया है, इसका मूल्यांकन करने के लिए
- शिक्षा के मुद्दों के बारे में उचित सलाह देना
- शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ,राज्य सरकारों और गैर–सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के बारे में सलाह देना
- किसी शैक्षिक प्रश्न पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किए गए संदर्भ पर सलाह देना

9.11 सारांश

भारत में शिक्षा के तीन स्तर हैंः प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर/तृतीयक। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के दायरे में आती है और तृतीयक शिक्षा को उच्च शिक्षा के रूप में जाना जाता है। उच्च शिक्षा में विद्यालयी शिक्षा के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से परे अध्ययन कार्यक्रम शामिल हैं। उच्च शिक्षा व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमताओं और योग्यता का पोषण करती है और ज्ञान के निर्माण, साझाकरण और मूल्यांकन में योगदान देती है। यह श्रम बाजार के लिए मानव पूंजी प्रदान करता है। भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान संरचना का संगठन और निष्पादन के संदर्भ में औपनिवेशिक प्रभाव है। हालांकि, भारत में वैदिक काल से ही उच्च शिक्षा की समृद्ध परंपरा है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति था। प्राचीन भारत में नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभ विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक मूल्य के लिए प्रसिद्ध थे। 1857 में, तीन विश्वविद्यालयों– कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों के अनुसार, शिक्षित लोगों का एक समूह तैयार करने के लिए जो औपनिवेशिक प्रशासन चला सकते थे और भारतीयों को यूरोप की कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का ज्ञान प्रदान कर सकते थे।

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली नामांकन के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। वर्तमान में लगभग 36.6 मिलियन छात्र हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित हैं। इसकी संरचना में योग्यता के तीन स्तर सम्मिलित हैंः स्नातक या स्नातक डिग्री प्रोग्राम, मास्टर या परा–स्नातक डिग्री प्रोग्राम और प्री–डॉक्टोरल और डॉक्टोरल प्रोग्राम। शिक्षा, समवर्ती सूची में है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उच्च शिक्षा के नियमन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार बनाता है। शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा के ढांचे के शीर्ष पर है। विभिन्न क्षेत्रों में मानकों को बनाए रखने और समन्वय के लिए कई नियामक निकाय हैंः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राष्ट्रीय परिषद शिक्षक शिक्षा (NCTE) आदि। उच्च शिक्षा के विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है : केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, राज्य विधान मंडल के तहत संस्थान, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य निजी विश्वविद्यालय और राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे कई संसथान उच्च शिक्षा के लिए हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) प्रणाली उच्च अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षार्थी केंद्रित विधा है जहां शिक्षार्थी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सीखने में संलग्न हो सकता है। किसी विशेष समय और स्थान पर उपस्थित होने की कोई बाध्यता नहीं है और न ही किसी निश्चित समय सीमा के भीतर किसी भी कठोर पाठ्यक्रम संरचना का सख्ती से पालन किया जाना है। यह प्रवेश और परीक्षा के मामले में लचीला है। ओडीएल प्रणाली के लिए आईसीटी तकनीक के साथ न्यूनतम आधारभूत संरचना और योग्यता की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से कई छात्र व्क्स प्रणाली में नामांकन कर रहे हैं जिनके पास दोनों ही नहीं है। शिक्षार्थियों आमने सामने बातचीत का सामना करने की आदत होती है। वे ओडीएल को डिग्री हासिल करने का एक आसान राह मानते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट क्रांति को मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) के रूप में जाना जाता है। MOOC असीमित भागीदारी के लिए विश्व स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के प्रभावी तरीकों में से एक हैं। यह एक मंच के माध्यम से पेश किया जाता है। कौरसेरा, एडएक्स और उडासिटी, MOOC प्लेटफॉर्म के कुछ उदाहरण हैं। SWAYAM (स्टडी वेबस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अस्पिरिंग माइंडस), हाई विद्यालय से विश्वविद्यालय

स्तर तक ऑनलाइन और पाठ्यक्रमों की मेजबानी के लिए एक वेब आधारित अंतःक्रिया हेतु मंच है। इसमें कभी भी, कहीं भी मल्टीमीडिया का उपयोग व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। SWAYAM पर दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुंच और निगरानी करना आसान है। यह एक इंटरैक्टिव वर्चुअल स्पेस है जहां सहपाठियों व साथियों के साथ चर्चा व अंतःक्रिया होती है। कई पाठ्यक्रम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस अंतःक्रिया के साथ, हाइब्रिड मॉडल का पालन करते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। रूसा (RUSA) योजना केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है जो राज्य संस्थानों को गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। इसी प्रकार से, सीएबीई (CABE) सरकार को H.E. की पहुंच, गुणवत्ता और समानता से संबंधित मुद्दों के बारे में भी सलाह दे रहा है।

9.12 अभ्यास प्रश्न

1) भारत में उच्च शिक्षा के नियमन में यू.जी.सी. की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पढ़िए तथा उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और नियामक संरचना के बारे में दिए गए सुझावों को चर्चा कीजिए।

9.13 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

- अग्रवाल, पी (2012.) ए हाफ सेंचुरी ऑफ हायर एजुकेशन दिल्लीः सेज पब्लिकेशन
- बेटिल, ए. (2010).यूनिवर्सिटीज एट द क्रासरोड्स दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- भूषण,एस. (2016). पब्लिक यूनिवर्सिटी इन अ डेमोक्रेसी. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 51 (17), 35–40
- कपूर, डी. और मेहता, पी.बी. (2004). इंडियन हायर एजुकेशन रिफार्मः फ्रॉम हाफ बेक्ड सोशलिज्म तो हाफ बेक्ड कैपिटलिज्म (ब्रूक वोर्किंग पेपर न. 108)
- कपूर, डी. और मेहता, पी.बी. (सं) (2017).नेविगेटिंग द लाब्रिन्थः पर्सपेक्टिव्स ओन इंडिया हायर एजुकेशन. दिल्लीः ओरिएंट ब्लैकस्वान
- तिलक, जे.बी.जी. (2014,सं). हायर एजुकेशन इन इंडियाः इन सर्च ऑफ इक्वलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. दिल्लीः ओरिएंट ब्लैकस्वान

https://mhrd.gov.in/
https://mhrd.gov.in/rusa
https://mhrd.gov.in/institutions-national-importance
https://mhrd.gov.in/university-grants-commission
https://www.ugc.ac.in/
https://swayam.gov.in/
https://mhrd.gov.in/central.universities.0
https://mhrd.gov.in/deemed.university
https://mhrd.gov.in/state-private-universities
https://mhrd.gov.in/state-universities
https://mhrd.gov.in/documents_reports\field_documents_reports_category_tid¾12

9.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा

2) वे पश्चिमी समाज के ज्ञान, कला और दर्शन का प्रचार करने के उद्देश्य से संबद्ध विश्वविद्यालय हैं.

3) अपने वार्य क्षेत्र के अनुसार उत्तर दीजिए।

4) अपनी खोज का परिणाम लिखिए।

5)

6) तालिका का मिलानः

तालिका 'ए'	तालिका 'बी'
नियामक निकाय संस्थानों	**कार्यक्रमों को विनियमित किया जाना है**
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)	इंजीनियरिंग महाविद्यालय
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)	कृषि विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)	शिक्षक शिक्षा संस्थान
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)	लॉ विद्यालय

7) रूसा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। सही बयानों के सामने निशान (√)

- रूसा योजना राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित है।
- रूसा योजना H.E के परीक्षा सुधारों तक सीमित है
- रूसा मौजूदा संस्थानों के उन्नयन और नए संस्थानों की स्थापना दोनों शामिल हैं। (√)

इकाई 10 महाविद्यालयी तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा

इकाई संरचना

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 महाविद्यालय और विश्वविद्यालयः प्रकार और प्रकृति

10.4 नियामक तंत्र

10.5 प्रबंधन के प्रकार

10.6 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशाशनिक प्रबंधन

10.7 सारांश

10.8 अभ्यास प्रश्न

10.9 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

10.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.1 परिचय

पिछली इकाई में, हमने भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की संरचना पर चर्चा की। इस इकाई में हम उच्च शिक्षा प्रणाली के कामकाज पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और विश्वविद्यालयों के प्रकारों तथा शैक्षिक व प्रशासनिक तंत्रों पर चर्चा करेंगे, जैसे– उनके कार्यों, मानव संसाधनों और उनके प्रबंधन, उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए निकाय और उनकी भूमिका व प्रकार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं।

आजादी के बाद से भारत में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के समय, 20 विश्वविद्यालय और 496 महाविद्यालय थे, यह संख्या बढ़कर वर्ष 2020 में लगभग 1000 विश्वविद्यालयों और 45,000 महाविद्यालयों की हो गई।

भारत में शिक्षा का इतिहास समय के साथ–साथ शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में 'गुरुकुल' और उसके उपरांत, मदरसा के आवासीय क्षेत्र में घूमता रहा, जिसमें छात्रों को धर्म और अन्य विषयों के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती थी।

अंग्रेजों के भारत आने के बाद, उच्च शिक्षा का प्रारूप बदल गया। अंग्रेजों ने भाषाओं, साहित्य, इतिहास और दर्शन पर केंद्रित उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली स्थापित की। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं, सेना और व्यापार के लिए अंग्रेजी बोलने वाले कामकाजी वर्ग का एक छोटा सा समूह तैयार करना था। कुछ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय जो कार्य करते थे, वे लंदन विश्वविद्यालय से प्रेरित थे। स्वतंत्रता के बाद, उच्च शिक्षा के उद्देश्य और उद्देश्यों में बदलाव आया। उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और न्यायसंगत बनाना और विकास की दिशा में योगदान देना और देश को आत्मनिर्भर बनाना था।

उच्च शिक्षा, केंद्र और राज्य सरकारों की साझा उत्तरदायित्व है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है, हालांकि, अन्य क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा में अन्य नियामक निकाय हैं।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई के पूर्ण होने के उपरांत, आप :

- भारत में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संरचना और कार्यों के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे,
- उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न नियामक एजेंसियों के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे,
- उच्च शिक्षा में योजना प्रबंधन के महत्व को समझें और इससे संबंधित मुद्दों का विश्लेषण कर सकेंगे,
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबंधन में विभिन्न निकायों की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे, और
- मानव संसाधन प्रबंधन के घटक और उच्च शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में इसे विकसित करने में शामिल तंत्र को पहचान सकेंगे।

10.3 महाविद्यालय और विश्वविद्यालयः प्रकार और प्रकृति

एक विश्वविद्यालय क्या है?

'विश्वविद्यालय' शब्द, विकिपीडिया द्वारा उच्च (या तृतीयक) शिक्षा और अनुसंधान के एक संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया है जो विभिन्न सामाजिक विषयों में शैक्षिक डिग्री प्रदान करता है। विश्वविद्यालय आमतौर पर विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा और डिग्री प्रदान करते हैं।

उपरोक्त परिभाषा के अतिरिक्त, डिग्री प्रदान करने में सक्षम होने के लिए, कानून के प्रावधानों के अनुसार एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। ''एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम के तहत या उसके द्वारा स्थापित या निगमित एक विश्वविद्यालय का अर्थ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के परामर्श से ऐसी कोई भी संस्था शामिल हो सकती है जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार हो।

विश्वविद्यालयों के प्रकार

विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैंः केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय (डीम्ड–टू–बी यूनिवर्सिटी) और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान। नीचे दिए गए उनके विवरण आपको उनके बीच के अंतर को समझाने में सक्षम करेंगेः

केंद्रीय विश्वविद्यालयः केंद्रीय विश्वविद्यालय, या संघीय विश्वविद्यालय, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) में उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आते हैं। दिसंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार, 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

उनचास में से, नौ विश्वविद्यालय हालांकि यूजीसी के दायरे में नहीं आते हैं और इसलिए उन्हें योजना या गैर–योजना अनुदान नहीं मिलता है, ये नौ हैं (i) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) भारतीय

समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई (iv) नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, ज़िला–नालंदा, बिहार (v) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, अकबर भवन परिसर, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, रायबरेली, उत्तर प्रदेश (vii) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषिविश्वविद्यालय झाँसी, उत्तर प्रदेश (viii) डा.राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार (ix) राष्ट्रीय क्रीडा विश्वविद्यालय, कौत्रुक, मणिपुर

राज्य विश्वविद्यालयः राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्यों में स्थित हैं और अपने क्षेत्रीय सीमाओं में कार्य करते हैं। एक राज्य विश्वविद्यालय आमतौर पर राज्य विधान सभा अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। लगभग 400 राज्य विश्वविद्यालय हैं। अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय हैं, जिसमें वे बड़ी संख्या में संबद्ध महाविद्यालयों (अति छोटे शहरों में स्थित) को संचालित करते हैं जो आमतौर पर स्नातक पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, लेकिन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान कर सकते हैं। श्रेष्ठ रूप में स्थापित महाविद्यालय भी कुछ विषयों में पीएच.डी. कार्यक्रम संबद्ध विश्वविद्यालय के अनुमोदन से चला सकते हैं ।

निजी विश्वविद्यालयः जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि एक विश्वविद्यालय, जो एक ट्रस्ट, एक कंपनी या समाज द्वारा चलाया जाता है, दूसरे शब्दों में, एक निजी संस्था द्वारा और गैर–सरकारी या निजी संस्थाओं से धन प्राप्त करता है, एक निजी विश्वविद्यालय कहलाता है । एक निजी विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश प्रक्रिया का संचालन कर सकता है, लेकिन यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एक राज्य/केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक प्रायोजित निकाय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, या किसी अन्य राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी में लागू होने के लिए किसी अन्य संबंधित कानून के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा ये संचालित होते हैं। विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। निजी विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान कर सकते हैं लेकिन उन्हें महाविद्यालय प्रांगण के बाहर (ऑफ–कैम्पस) संबद्ध महाविद्यालय नहीं रखने दिए जाते हैं। निजी विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रक्रिया, प्रयोगशाला, आदि जैसे मामलों में यूजीसी के दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा। उन्हें अपने कामकाज में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। आज लगभग 300 निजी विश्वविद्यालय हैं।

मानित विश्वविद्यालय (डीम्ड–टू–बी यूनिवर्सिटी)– शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, "अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर पर काम करने वाले विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा मानित विश्वविद्यालय 'डीम्ड–टू–बी–यूनिवर्सिटी घोषित किए जा सकते हैं। ये संस्थान, एक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं। दूसरे शब्दों में, मानित विश्वविद्यालय, या डीम्ड–टू–बी–विश्वविद्यालय, एक उच्च प्रदर्शन करने वाली संस्था को संदर्भित करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किया गया है। मानित विश्वविद्यालय में यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता की स्थिति है। भारत में लगभग 128 मानित विश्वविद्यालय हैं।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान : एक संस्था जो ''देश/राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है'' को

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाता है और इसे भारत सरकार से विशेष मान्यता और धन प्राप्त होता है। यह एक सोपान है जिसे भारत की संसद के एक अधिनियम संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक संस्था द्वारा भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान से सम्मानित किया जा सकता है और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान का कार्य कर सकते हैं। उदाहरणः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हैं, जिन्हें उनके शिक्षा के मानक के लिए विश्व स्तर पर सराहा गया है।

विश्वविद्यालयों को भी इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :

i) एकात्मक

ii) सम्बद्वता प्रकार करने वाले

एकात्मक विश्वविद्यालयों के मामले में, शिक्षण और अनुसंधान एक ही परिसर में आयोजित किया जाता है और स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए, साथ ही साथ अनुसंधान गतिविधियाँ इसमें प्रावधान है, जैसे– बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय एकात्मक विश्वविद्यालयों के उदाहरण हैं।

सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयः ये विश्वविद्यालयों वो होते हैं, जिनके पास एक केंद्रीय परिसर होता है, स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान का संचालन करने वाले विभाग होते हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध कई महाविद्यालय हैं जो विश्वविद्यालय के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर विभिन्न स्थानों में स्थित हो सकते हैं। महाविद्यालय ज्यादातर स्नातक कार्यक्रमों का प्रस्तुत करते हैं, लेकिन चुनिंदा विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आयोजित करने की अनुमति भी दी जा सकती है। कई भारतीय विश्वविद्यालय हैं जो संबद्धता प्रदान करने वाले प्रकार हैं– कलकत्ता, मुंबई, उस्मानिया और बैंगलोर जैसे 300 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय हैं।

भारत में महाविद्यालय : स्नातक शिक्षण का बड़ा हिस्सा महाविद्यालयों में दिया जाता है। महाविद्यालय दो प्रकार के होते हैंः घटक और सम्बद्ध महाविद्यालय। पहला वो है जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किए जाते हैं, बाद वाले को सरकार द्वारा या शैक्षिक ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के बाहर स्थापित और प्रबंधित किया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, अधिकांश महाविद्यालय कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक स्तर पर शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे महाविद्यालय हैं जो कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे विषयों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देने वाले कई महाविद्यालय निजी प्रबंधन के दायरे में आते हैं।

एक महाविद्यालय अध्ययन के एक पाठ्यक्रम के लिए प्रदान करने के लिए सक्षम है और एक विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त है जिसके नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है। पाठ्यक्रम अध्ययन करने के बाद, विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और उत्तीर्ण करने के उपरांत डिग्री प्राप्त करते हैं।

स्वायत्त महाविद्यालय

यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986, (PoA-1992)) के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त महाविद्यालयों की एक योजना शुरू की। यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) और

12 (बी) के तहत सभी महाविद्यालय योजना के तहत पात्र हैं। स्वायत्तता अनुदान के लिए संस्थानों की पहचान के लिए मानदंड इस प्रकार हैं :

v) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में शैक्षणिक प्रतिष्ठा और पिछला प्रदर्शन और अतीत में इसकी शैक्षिक/सह–पाठ्यचर्या/विस्तार गतिविधियाँ।

ब) संकाय की शैक्षणिक/विस्तार उपलब्धियां।

स) इस संबंध में वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन छात्रों और शिक्षकों के चयन में गुणवत्ता और योग्यता

ड) आधारभूत संरचना की पर्याप्तता, उदाहरण के लिए, पुस्तकालय, उपकरण, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवास, आदि

ई) संस्थागत प्रबंधन की गुणवत्ता

फ) संस्थान के विकास के लिए प्रबंधन/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय संसाधन

ज) प्रशासनिक संरचना की जवाबदेही

च) नवीन सुधारों के प्रचार में संकाय की प्रेरणा और भागीदारी

2018 से, महाविद्यालयों को स्वायत्तता देने के संबंध में नए नियम लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) से 0 से 4 के पैमाने पर 3.51 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले महाविद्यालय, या तीन या अधिक कार्यक्रमों प्रत्येक कार्यक्रम में 750 या अधिक के स्कोर के साथ में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) प्राप्त के लिए स्वतः स्वायत्तता के लिए पात्र हो जाते हैं। स्वायत्तता एक महाविद्यालय को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में स्वतंत्रता देती है। महाविद्यालय नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश कर सकता है और जो प्रस्तावित हैं उन लोगों की समीक्षा, पुनर्गठन और पुनः डिजाइन कर सकता है। यह महाविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए शैक्षणिक परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज और वित्त समिति जैसे अपने स्वयं के शासी निकाय का गठन करने के लिए भी स्वतंत्र है। वह अपनी ट्यूशन फीस तय करता है जो इसे वित्तीय स्वायत्तता देती है। नए नियमों के तहत, 59 महाविद्यालयों को स्वायत्तता मिली है, और लगभग 100 इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

महाविद्यालयों द्वारा छात्रों को मूल्यांकन और अनुशंसित करने के लिए अभिभावक/मुख्य विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करती है। तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके स्वायत्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की मुहर के साथ उपाधि प्रदान की जा सकती है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) भारत में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में क्या अंतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) अपने क्षेत्र के महाविद्यालय की सूची तैयार कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

10.4 नियामक तंत्र

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नीति और नियोजन दोनों के संदर्भ में, उच्च शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। एक नियोजित विकास प्रक्रिया के तहत, विभाग, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों की स्थापना के माध्यम से, उच्च शिक्षा में पहुंच और गुणात्मक सुधार के विस्तार की देखभाल करता है।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका मुख्य शासी निकाय है और उच्च शिक्षा के लिए मान्यता की देखरेख भी करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कई अन्य एजेंसियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित कर रही हैं। इस खंड की पिछली इकाई में हमने यूजीसी और सीएबीई की भूमिका पर चर्चा की। हम इस खंड में नियामक तंत्र पर विस्तृत में चर्चा करेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक संगठन है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए है। अर्ह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के अलावा, आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उन उपायों पर भी सलाह देता है जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक हैं। यह नई दिल्ली के साथ–साथ बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित अपने छः(06) क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से से कार्य करता है।

यूजीसी को देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसे दो जिम्मेदारियों के साथ निहित किया गया है, वह है : धन मुहैया कराना और उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव।

यूजीसी के जनादेश में शामिल हैं:

- विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना,
- विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रखरखाव,
- शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियमों का निर्धारण,
- महाविद्यालयी और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में निगरानी के विकास, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देना,
- केंद्र और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना, और

- विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।

अन्य नियामक निकाय

यूजीसी के अलावा कई अन्य केंद्रीय नियामक और समन्वय निकाय हैं। इस खंड में हम कुछ महत्वपूर्ण निकायों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE–आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, और 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। एआईसीटीई नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने, नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने और तकनीकी संस्थानों, जैसे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन कार्यक्रमों में नामांकन क्षमता में भिन्नता के लिए मंजूरी देती है। एआईसीटीई ने संबंधित राज्य सरकारों को नए संस्थानों को संसाधित करने और अनुमोदन प्रदान करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों के लिए सेवन क्षमता में बदलाव के लिए प्रत्यायोजित किया है। यह ऐसे संस्थानों के लिए मानदंडों और मानकों को भी निर्धारित करता है और तकनीकी संस्थानों या कार्यक्रमों की मान्यता के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करती है। अपनी नियामक भूमिका के अतिरिक्त इसकी एक प्रचार भूमिका भी है, जो तकनीकी संस्थानों को अनुदान देते हुए नवाचारों, संकायों, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाली महिलाओं, दिव्यांगों और समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के माध्यम से लागू करती है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC): राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, एक स्वायत्त निकाय है, जिसे 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 और क्रियान्वयन कार्यक्रम (POA–प्रोग्राम ऑफ एक्शन), 1992 द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में स्थापित किया गया है, जो भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन पर विशेष बल देते हैं।

NAAC का प्रधान जनादेश, जैसा कि इसके प्रस्तावनापत्र में परिकल्पित किया गया है, उच्च शिक्षण, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों या उनकी इकाइयों, अर्थात विभागों, विद्यालयों, संस्थानों, कार्यक्रमों, आदि के संस्थानों का आंकलन और मान्यता देना है। यह सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें उच्च शिक्षा की प्रणाली के एक सभी घटकों से शैक्षिक प्रशासक, नीति निर्माता और वरिष्ठ शिक्षाविदों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE–नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन): 17 अगस्त,1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम, 1993 (1993 का नं 73) के अनुसरण में एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अस्तित्व में आया। इससे पहले, यह शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकारी निकाय था। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई), 1986 ने शिक्षक शिक्षा के लिए प्रणाली की बेहतरी के लिए वैधानिक स्थिति और आवश्यक संसाधनों के साथ शिक्षक शिक्षा परिषद की सिफारिश की थी, जो वर्तमान एनसीटीई की उत्पत्ति है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR–इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE–डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल

रिसर्च एंड एजुकेशन) के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। परिषद की भूमिका गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास के साथ–साथ स्थायी कृषि के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को समन्वित और प्रोत्साहित करने के लिए कृषि शिक्षा की योजना, सहायता, प्रदान और समन्वय करना है।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI): मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में चिकित्सा में उच्च योग्यता की एक समान मानक स्थापित करने और चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने के मुख्य कार्य के साथ की गई थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा के एक जैसे मानकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार दी। अब इसे समाप्त कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI): बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत की गई थी। बार काउंसिल का संबंध भारत में कानूनी अध्ययन से है। परिषद की भूमिका कानूनी शिक्षा के मानकों को बढ़ावा देना और रखना है। यह भारत में विश्वविद्यालयों के साथ कानूनी शिक्षा प्रदान करने और राज्य बार काउंसिल के परामर्श से किया जाता है। इस समय, परिषद उन विश्वविद्यालयों को भी मान्यता देती है जिनकी कानून डिग्री व्यक्ति को एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता प्रदान करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालयों का दौरा करती है और मान्यता के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए स्टेट बार काउंसिल का निर्देशन करती है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) उच्च शिक्षा में स्तर को बनाये रखने हेतु, नियामक निकाय के रूप यू.जी.सी की भूमिका पर चर्चा करें.

.....

.....

.....

.....

.....

10.5 प्रबन्धकों के प्रकार

उच्च शिक्षा के वित्तपोषण की स्थापना और विधायिका का कार्य संरचना के प्रबंधन का बारीकी से पालन करता है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रबंधन को निम्नलिखित प्रकारों के तहत समझाया जा सकता है :

केंद्र सरकार – जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों को केंद्रीय प्रत्यक्षीकरण द्वारा बनाए रखा जाता है, (चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और अन्य संस्थान जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बैंगलोर,

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER), पुणे, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आदि केंद्र सरकार के प्रबंधन के अधीन हैं।

राज्य सरकार – विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा बनाए रखे जाते हैं (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) जैसे– चौधरीचरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश सरकार से रखरखाव अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित है।

स्थानीय निकाय – महाविद्यालय/संस्थान जो स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित होते हैं जैसे कि पंचायतें (जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243 जो 243B में परिभाषित है), नगरपालिका (संविधान के अनुच्छेद 243P जो 243Q में परिभाषित), छावनी बोर्ड, टाउन क्षेत्र समिति और स्थानीय स्वशासन के किसी अन्य निकाय का गठन एक कानून के तहत किया जाता है। जैसे फिरोज गांधी महाविद्यालय और सी.पी. वर्मा महाविद्यालय, पटना, जो मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

निजी सहायता प्राप्त संस्थाएँ : जो एक व्यक्ति, ट्रस्ट, सोसाइटी या अन्य निजी संगठन द्वारा प्रबंधित की जाती हैं और जिन्हें नियमित सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध, हिंदू महाविद्यालय, दिल्ली सरकार से नियमित रखरखाव अनुदान प्राप्त करती हैं, जो 1899 स्वर्गीय श्री कृष्ण दासजी गुरवाले व प्रमुख दिल्ली के नागरिकों (ट्रस्टी) के साथ स्थापित किया गया था।

निजी असहायता प्राप्त – ये वो संस्थाएँ हैं, जो एक व्यक्ति, ट्रस्ट, सोसाइटी या अन्य निजी संगठन द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, जो या तो भवन निर्माण, पुस्तकालय या प्रयोगशाला, शिक्षक वेतन आदि के लिए एकमुश्त सब्सिडी आदि , जैसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई अनुदान नहीं या एकमुश्त तदर्थ अनुदान प्राप्त कर रही हैं, लेकिन ये नियमित रखरखाव अनुदान प्राप्त नहीं करते। उच्च शिक्षा (AISHE–आल इंडिया सर्वे ओन हायर एजुकेशन) पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार, 78% महाविद्यालयों को निजी तौर पर प्रबंधित किया जाता है, 64% निजी असहायता प्राप्त और 14% निजी–सहायता प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 80% से अधिक निजी–असहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं और तमिलनाडु में 76 निजी–सहायता रहित महाविद्यालय हैं, जबकि, बिहार में 13% और असम में केवल 10% निजी–सहायता रहित महाविद्यालय हैं। इनमें इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान, नर्सिंग, फार्मेसी और अन्य व्यावसायिक महाविद्यालय शामिल हैं।

10.6 महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशाशनिक प्रबंधन

इस खंड में, हम निर्णय लेने वाले निकायों के कार्यशैली के माध्यम से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज पर चर्चा करेंगे।

हमारे देश में विश्वविद्यालयी प्रशासन का अनुभव भिन्न भिन्न होता है, यह विश्वविद्यालय के प्रकार पर निर्भर करता है, जिस अवधि के लिए यह अस्तित्व में रहा है और क्या यह संघ या राज्य सरकार के नियंत्रण में है। दोनों विश्वविद्यालयों के, एकात्मक और सम्बद्धता प्रदान करने वाले प्रकार का प्रशासन लगभग समान है और अधिकारियों और अधिकारियों के पदानुक्रम के माध्यम से किया जाता है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले निकाय हैं:

- अधिसभा (कोर्ट/सीनेट)
- कार्यकारी परिषद/प्रबंधन बोर्ड

- शैक्षणिक परिषद
- बोर्ड ऑफ स्टडीज/अध्ययन बोर्ड
- वित्त समिति

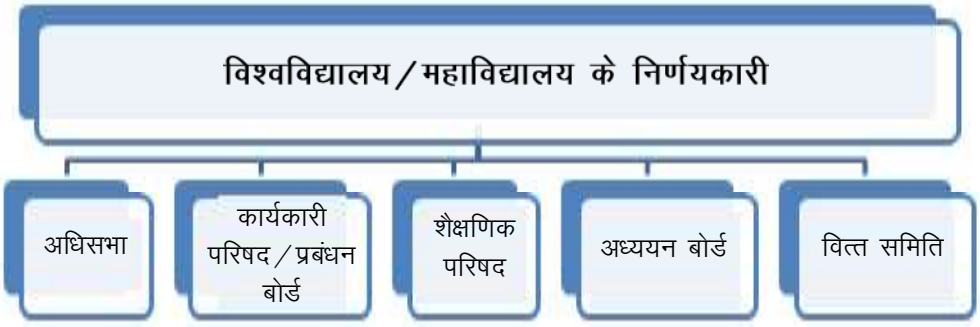

अधिसभा (कोर्ट/सीनेट)

कोर्ट का गठन और उसके सदस्यों के पद का कार्यकाल संविधानों द्वारा निर्धारित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में, इसे एक अदालत के रूप में जाना जाता है और एक राज्य विश्वविद्यालय में इसे अधिसभा/सीनेट के रूप में नामित किया जाता है। न्यायालय /सीनेट द्वारा किए गए कुछ कार्य इस प्रकार हैं :

क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए, और इसके मूल्यांकन के लिए उपाय सुझाना,

ख) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खातों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को पारित करना ।

घ) ऐसे कुछ अन्य कार्य करना जो संविधियों (Status) द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

कार्यकारी परिषद/प्रबंधन बोर्ड/सिंडिकेट

कार्यकारी परिषद, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे– विभिन्न संकायों, महाविद्यालयों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, मुख्य शासी निकाय को कार्यकारी परिषद के रूप में जाना जाता है जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में इसे सिंडिकेट या प्रबंधन बोर्ड के रूप में जाना जाता है। विश्वविद्यालय के घटकों के अतिरिक्त, कार्यकारी परिषद की सदस्यता को विश्वविद्यालय के बाहर के कुछ प्रतिष्ठित शिक्षाविदों या शैक्षणिक प्रशासकों तक विस्तारित किया जाता है। कुलपति द्वारा प्रस्तावित विशेषज्ञों के एक पैनल को कुलाधिपति द्वारा बाहरी लोगों को नामित किया जाता है। अन्य सदस्य, जैसे– संकायाध्यक्ष, प्राचार्य, प्रिंसिपल और शिक्षक, प्रतिनिधियों को वरिष्ठता के आधार पर आर्वतन द्वारा चुना जा सकता है।

सिंडीकेट तभी अच्छी तरह से काम करता है जब शिक्षकों के परामर्श और जब भी आवश्यक हो, गैर–शिक्षण कर्मचारियों के साथ से नीतिगत निर्णय लिया जाता है । लेकिन, नियमित मामलों में, विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों को शक्ति का प्रत्यायोजन, उचित निर्णय लेने, और अधिक प्रभावी निर्णय में समान परिणाम के लिए जिम्मेदार होने के कारण विश्वविद्यालय के मुख्य तौर पर कार्यकारी परिषद/सिंडिकेट के कामकाज पर निर्भर करता है।

शैक्षणिक/अकादमिक परिषद

शैक्षणिक परिषद अकादमिक मामलों में प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका कार्य विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करना है। यह मानदंडों और मानकों को स्थापित करने और शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता के मामलों में नेतृत्व प्रदान करता है। ये परिषद् शिक्षण और अनुसंधान दोनों में अंतर विभागीय और समन्वयन ला सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए परिषद का गठन किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय के सभी संकायों के अध्ययन, विभागों के प्रमुखों, प्रोफेसरों, पाठकों, व्याख्याताओं, प्राचार्यों और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से इस पर प्रतिनिधित्व मिले । यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों को आवर्तन द्वारा चुना जाता है, न कि चुनाव, ताकि शिक्षक प्रतिनिधियों को ना चुने बल्कि आवर्तन द्वारा चुने जाना चाहिए। अकादमिक परिषद में अन्य विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक निकायों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग से विश्वविद्यालय के बाहर के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, विद्वानों और विशेषज्ञों का भी होना चाहिए। कुछ स्नातकोत्तर छात्र और अनुसंधान पाठ्यक्रमों के प्रतिनिधि भी परिषद के सदस्य होने चाहिए। हालांकि, उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर ही चुना जाना चाहिए।

अकादमिक परिषद सभी शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद के सलाहकार के रूप में काम करती है, जिसमें प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों के नियंत्रण और प्रबंधन और छात्र कल्याण से संबंधित अन्य मुद्दे शामिल हैं।

अध्ययन परिषद/बोर्डस ऑफ स्टडीज

विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन परिषद होगा। अध्ययन मंडल का गठन और उसके सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसमें आमतौर पर संबंधित क्षेत्र के विभागाध्यक्ष, शिक्षक और कुछ अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अकादमिक परिषद के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, अध्ययन बोर्ड की कार्यप्रणाली अनुसंधान के विभिन्न डिग्री और अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान को मंजूरी देने और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके से संबंधित विद्यालय मंडल/परिषद को सिफारिश करने के लिए होगी। अध्ययन परिषद विभाग में शिक्षण और अनुसंधान कार्य, अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, अध्ययन के पाठ्यक्रम की मंजूरी, पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षकों की नियुक्ति, शिक्षण और अनुसंधान के मानक के सुधार के लिए उपाय आदि का समन्वय करता है।

वित्त समिति

वित्त समिति में एक कुलपति पदेन अध्यक्ष के रूप में, एक उपकुलपति या न्यायालय द्वारा नामित एक व्यक्ति, कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति होते हैं, जिनमें से कम से कम एक सदस्य कार्यकारी परिषद का होना चाहिए और कुलाधिपति द्वारा नामित तीन व्यक्ति होते हैं। समिति के पदेन सदस्यों के अलावा, वित्त समिति के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। वित्त समिति, खातों की जांच करती है और खर्च के प्रस्तावों की जांच करती है। विश्वविद्यालय के वार्षिक खाते और वित्तीय अनुमानों को विचार और टिप्पणियों के लिए वित्त समिति के समक्ष रखा जाता है और उसके बाद अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त समिति विश्वविद्यालय के आय और संसाधनों के आधार पर कुल आवर्ती व्यय और वर्ष के लिए कुल गैर–आवर्ती व्यय के लिए सीमा की सिफारिश करती है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

4) उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का प्रबन्धन से क्या सम्बन्ध है?

.....

.....

.....

.....

.....

5) विश्वविद्यालय तंत्र के विविध निकायों की क्या भूमिका व प्रकार्य हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

6) एक विश्वविद्यालय के ऑकलन के क्या गुणवत्ता मानदंड होने चाहिए?

.....

.....

.....

.....

.....

10.7 छात्र और शिक्षकः एक शैक्षणिक संस्थान के दो स्तम्भ

किसी भी राष्ट्र का विकास पूरी तरह से मानव संसाधनों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, और अच्छे मानव संसाधन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करती है और विशेष ज्ञान और कौशल के प्रसार के माध्यम से विकास की दिशा में योगदान देती है। व्यापक अर्थ में मानव संसाधन विकास, लोगों के "ज्ञान, विशेषज्ञता, उत्पादकता और संतुष्टि को विकसित करना चाहता है, चाहे वह व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए हो, या किसी संगठन, समुदाय, राष्ट्र या अंततः मानवता के लाभ के लिए हो।" संकीर्ण अर्थों में मानव संसाधन विकास का उपयोग संगठन के उद्देश्यों के संबंध में अपने कर्मचारियों की व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के लिए एक संगठन द्वारा कार्यान्वित व्यवस्थित और नियोजित गतिविधियों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में किया जाता है।

उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता उन लोगों की क्षमता पर निर्भर करती है जो विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से दो महत्वपूर्ण स्तंभ छात्र और शिक्षक हैं,

जो सीधे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान गतिविधियों में शामिल हैं। हमें मानव संसाधन के इन दो महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केंद्रित करना है।

छात्रों का विकासः छात्रों का विकास निम्नलिखित के विकास से संबंधित हो सकता हैः

1) विषय–आधारित कौशल जो जानने–क्या और कैसे से संदर्भित करता है,
2) व्यवहार और सामाजिक कौशल, जो आत्मविश्वास, ऊर्जा, दृढ़ता, जुनून, नेतृत्व, सहयोग और संचार से संबंधित हैं,
3) सोच और रचनात्मकता में कुशलता, जिसमें महत्वपूर्ण सोच, संबंध बनाने की क्षमता, कल्पना और जिज्ञासा शामिल है।

शिक्षकों के लिए विकासः उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक ही है जो छात्रों के बीच ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यों और कौशल को विकसित करने में शामिल है। निम्नलिखित पर शिक्षकों की योग्यता का निर्माण और सुधार करने की आवश्यकता हैः

i) नियुक्ति और प्लेसमेंट
ii) प्रदर्शन और संभावित स्वमूल्यांकन
iii) नेतृत्व
iv) सतत् शिक्षा
v) प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS), आदि।

लोग विशिष्ट और साथ ही संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मानव संसाधन एक संस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इसके लिए संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, प्रदर्शन संकेतक (indicators), यदि बुद्धिमानी और लचीले ढंग से उपयोग किए जाते हैं, तो विश्वविद्यालय के प्रदर्शन को अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं ...

चित्र 1 उनके कार्यों के आधार पर विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन को मापने की रूपरेखा को दिखाता है।

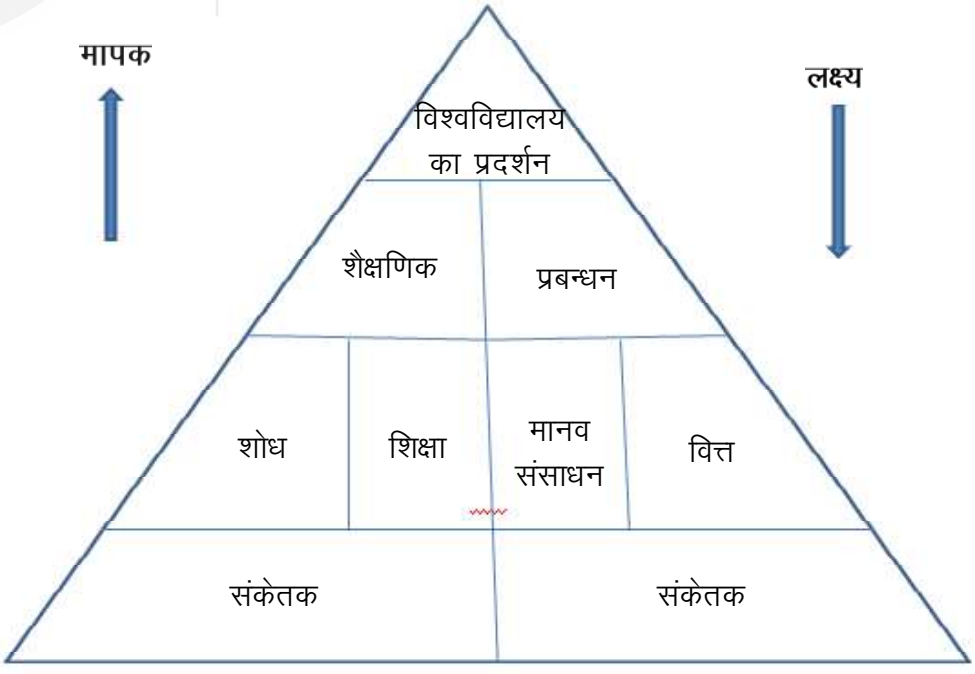

चित्र 10.1: उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रदर्शन मापने की रूपरेखा (स्रोतः वांग, 2010 से प्राप्त)

10.8 सारांश

भारत में उच्च शिक्षा का संगठन, विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के कारण, जटिल है। विश्वविद्यालयों के प्रकार केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय हैं। अधिकांश महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, प्रबंधन और विनियमन के लिए यूजीसी के दायरे में हैं और अन्य की देखरेख शिक्षा मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों के तहत काम करने वाली एजेंसियों द्वारा की जाती है। यह इकाई, भारत में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की प्रणाली का अवलोकन थी। प्रत्येक भारतीय विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में उनके प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए वैधानिक संस्थाएं हैं और कुछ प्रमुख हैं– कोर्ट/अधिसभा, कार्यकारी परिषद/सिंडिकेट/प्रबंधन मंडल, अकादमिक/शैक्षणिक परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज, वित्त समिति और अन्य संबंधित समितियाँ। इनमें से प्रत्येक निकाय की विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के नियोजन और प्रबंधन में विशिष्ट भूमिका है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षण संस्थान हमेशा सतत् विकास करने और बदलते परिवेश के साथ, वर्तमान परिवेश में स्वयं को विकसित करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं।

10.9 अभ्यास प्रश्न

1) उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले 2–3 शिक्षकों से विश्वविद्यालय प्रणाली में अकादमिक परिषद और बोर्ड ऑफ स्टडीज की भूमिका के बारे में चर्चा करें। उनके साथ अपनी बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

2) क्या आपको लगता है कि नियामक संस्थाएं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्षम हैं? शिक्षक शिक्षा के लिए NCTE की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

10.10 संदर्भ सूची और उपयोगी अध्ययन सामग्री

- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (2017). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, http://aishe.nic.in/aishe/viewDocument.action\documentId¾239 से पुनः प्राप्त
- भारत में विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रथाओं की वैचारिक रूपरेखाः https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/72429/7/07_chapter%201-pdf से पुनर्प्राप्त
- भारत सरकार (1968). राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
- भारत सरकार (1986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- भारत सरकार (1992) एनपीईः प्रोग्राम ऑफ एक्शन. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- देशमुख, ए. एम., शर्मा, एस., और रामटेके, ए. वाई. (2010).परफॉरमेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज इन हायर एजुकेशन.नागपुरः एक्सेल इंडिया प्रकाशक, नई दिल्ली।
- इनफार्मेशन पुब्लिशड इन पैरसूअंस ऑफ सेक्शन 4(1)(ठ) ऑफ राईट तो इनफार्मेशन

(2005). MHRD.डिपार्टमेंट ऑफ विद्यालय एजुकेशन एंड लिटरेसी, https://mhrd.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd/ files/upload document/RTI_SE-pdf

- शाह, पी. जे. (2015). भारत में उच्च शिक्षा का नियामक ढांचा, सिविल सोसाइटी केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र के लिए प्रस्तुत, https://ccs.in/sites/default/files/research/research-regulatory-structure-of-higher-education-in-india-pdf से लिया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2018). रिपोर्ट ओन हायर एजुकेशन आल इंडिया एंड स्टेट प्रोफाइल 2017–18.
- स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए यूजीसी दिशानिर्देश (2017). https://www.ugc.ac.in/pdfnews/9165907_Revised-Guidelines-for-autonomous-college-15.05.2017.pdf से प्राप्त
- वांग, एक्स. (2010). परफॉरमेंस मेजरमेंट इन यूनिवर्सिटीजः मैनेजरियल पर्सपेक्टिव.

10.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) आप किसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बीच, अर्थ, संबद्धता, अनुसंधान कार्यक्रम, क्षत्रों, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संख्या, अध्यक्ष, नामांकित छात्रों की संख्या, प्रांगण आदि बिन्दुओं के आधार पर विभेद कर सकते हैं।

2) आप अपनी पसंद के किसी भी विशिष्ट क्षेत्र का चयन कर सकते हैं और फिर महाविद्यालयों की पहचान कर सकते हैं और आप उन्हें घटक महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय के रूप में भी समूहित कर सकते हैं और उनके कार्य तंत्र को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

3) जैसा कि पहले चर्चा की गयी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा के उत्तम स्तर को बनाये रखने के लिए सारे अधिकार हैं। (अनुभाग 1.4.1 देखें)

4) किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान की गुणवत्ता पूरी तरह से उस निकाय के प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर है। केंद्रीय, राज्य, निजी आदि विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के तहत जो सीधे संस्थागत विधायिका और नियामक तंत्र को प्रभावित करते हैं, तथा गुणवत्ता और मानकों को भी प्रभावित किया गया है, (देखें अनुभाग 1.5)

5) किसी भी विश्वविद्यालय का चयन करें, और विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों के लिए निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार मुख्य निकायों के बारे में समझने की कोशिश करें, (अनुभाग 1.6 देखें)

6) किसी भी विश्वविद्यालय के प्रदर्शन को उसके शोध कार्य की गुणवत्ता, शिक्षण व अधिगम गतिविधियों के स्तर, मानव संसाधन की गुणवत्ता, छात्र के प्लेसमेंट, प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों आदि के रूप में मापा जा सकता है।

इकाई 11 तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 उद्देश्य

11.3 तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का महत्त्व

11.4 तकनीकी शिक्षा की प्रकृति

- 11.4.1 भारत में तकनीकी शिक्षा
- 11.4.2 तकनीकी शिक्षा का इतिहास
- 11.4.3 विज्ञान नीति संकल्प

11.5 भारत में प्रबंधन शिक्षा

11.6 तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए संस्थागत तंत्र

11.7 तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का अधिनियम

11.8 भारत में व्यावसायिक शिक्षा

11.9 नई शिक्षा नीति और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)

11.10 तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए 21वीं की सदी के कौशल

11.11 सारांश

11.12 अभ्यास प्रश्न

11.13 संदर्भ सूची एवं अध्ययन हेतु उपयोगी सामग्री

11.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.1 प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा प्रणाली में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल हैं। मुख्यतः उच्च शिक्षा स्तर के पर तीन तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है –सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। सामान्य शिक्षा, शिक्षा का ऐसा रूप है जो छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है और उन्हें ऐसे विषयों के साथ जोड़ती है जिनके द्वारा छात्रों की गहन सोच को बढ़ावा मिलता है और वे अपने आस पास की दुनिया के बारे में जागरूक बनते हैं। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कुछ ऐसे ही मुख्य विषय हैं जो विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है और इन विषयों को उच्च शिक्षा के स्तर पर भी पढ़ाया जाता है। दूसरी ओर, व्यावसायिक शिक्षा एक अलग औपचारिक दृष्टिकोण लिए हुए है, जिसमें छात्र सामग्री ज्ञान प्राप्त के साथ –साथ उस ज्ञान को कार्यक्षेत्र में लागू करने की तकनीक भी सीखता है। व्यावसायिक शिक्षा में बुनियादी ज्ञान और मूल्य इस प्रकार शामिल होते हैं जिनमें विषय की मुख्य अवधारणायें, सिद्धांत और तकनीक के साथ साथ व्यवहार में उनके अनुप्रयोग का ज्ञान भी शामिल होता है, जैसे– चिकित्सा और कानूनी विषय। व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी क्षमता के ऐसे स्तर को प्राप्त करें जिसे आधार पर छात्र वृत्तिक अभ्यास (प्रोफशनल प्रैक्टि) शुरू कर सकें। वे आचार संहिता से बंधे हुए होते हैं, और यह उनकी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता मानी जाती है की उनको समय– समय पर अपने ज्ञान और क्षमता को अपडेट रखना है। डॉक्टर, शिक्षक और वकील जैसे पेशेवर लोगों की प्राथमिकता में समाज सेवा पहले और वित्तीय लाभ बाद में आता है।

तकनीकी शिक्षा ऐसे व्यक्तियों को तैयार करती है जो वर्तमान में चल रहे काम काज के साथ अपने आप को जोड़ सकें। तकनिकी शिक्षा में काम से संबंधित कौशल, ज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ का विकास और उसका उपयोग शामिल होता है। भारतीय संदर्भ में तकनीकी शिक्षा वास्तुकला, योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग, प्रबंधन, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर खानपान से संबंधित कार्यक्रमों से जुडी हुई है। इस इकाई में हम तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति, महत्व, इसकी वृद्धि और विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए संस्थागत तंत्र और नियामक निकायों पर चर्चा करेंगे। इकाई के अंत में, हम 21 वीं सदी के कौशल के संदर्भ में तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रारूप को समझने का प्रयास करेंगे। अंत में, हम उच्च शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रों के लिए एकल नियामक होने के प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे।

11.2 उद्देश्य

इकाई के पूरा होने के उपरान्त, आप :

- तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति पर चर्चा कर सकेंगे,
- भारत में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और विकास को समझ सकेंगे,
- विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संरचना और संस्थागत तंत्र का भेद कर सकेंगे,
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए विभिन्न नियामक निकायों की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे,
- शिक्षण में 21 वीं सदी के कौशल को समायोजित करने की आवश्यकता का उल्लेख कर सकेंगे, तथा
- शिक्षा को विनियमित करने में एकल नियामक के लाभों पर चर्चा कर सकेंगे।

11.3 तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व

राष्ट्रीय विकास में प्रगति करने के लिए यह देखा गया है कि सभी देश, विशेष रूप से विकासशील देश शिक्षा के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास पर विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में, विकास की गति को बनाये रखने के लिए सभी देशों को न केवल सामान्य शिक्षा पर अपितु तकनीकी, व्यावसायिक, पेशेवर, कृषि और शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों को विद्यार्थीओं के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक देश को सभी व्यवसायों के लिए शिक्षित और कुशल लोगों के साथ साथ प्रशिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होती है। हालांकि शिक्षा का उद्देश्य मात्र कुशल लोगों को तैयार करना ही नहीं है क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास पर केंद्रित है, फिर भी आर्थिक और मानव संसाधन विकास में इसके योगदान को कम आंकना गलत होगा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का समाज में किसी भी व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को बेहतर बनाने में अहम् योगदान होता है।

यह समाज में स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी सुधार लाता है, आर्थिक विकास में वृद्धि करता है, तकनीकी विकास में तीव्रता लाता है और समग्र रूप से व्यक्ति के जीवन तथा समाज में गुणात्मक सुधर लाता है। कुशल कार्यबल वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है जो अंततः समाज के विकास में सहायता करता है। शिक्षा में निवेश के

प्रतिफल स्वरूप बेहतर करियर की संभावनाएं, जीविका कमाने के साधनों में वृद्धि और जीवन में बेहतर गुणवत्ता बनाये रखने जैसे लाभ मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर हुए कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा श्रमिकों कि उत्पादक क्षमता का विकास होता है और विशेष रूप से शिक्षा के उच्च स्तर वाले लोगों की आय के साधनों में भी वृद्धि होती है।

चिकित्सा व्यवसाय सभी व्यवसायियों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की जिंदगी से संबंध रखता है। और व्यवसाय की इसी प्रकृति के कारण चिकित्सक समाज में सबसे अधिक आदर पाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में नागरिकों की भलाई और स्वास्थ्य इस व्यवसाय के संपूर्ण विकास को निर्धारित करता है। किसी भी देश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने को एक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। स्वास्थ्य देखभाल को सभी लोगों की पहुंच में लाने और नई बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुसंधान को अधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि भारत ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है किंतु फिर भी भारत में चिकित्सक और रोगी के अनुपात की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तथा पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है अतः इस बात की आवश्यकता है कि चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का संपूर्ण देश में विस्तृत विस्तार किया जाए। किसी भी देश के लोगों की पहुंच में समानता और न्याय को लाने और उसे एक आधारभूत ढांचा प्रदान करने में वकील अहम भूमिका निभाते हैं वैश्वीकरण के कारण व्यवसायिक गतिविधियों को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है । वकीलों के तकनीकी कानूनी ज्ञान और विभिन्न कौशलों में निपुण होने के कारण लोगों को व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उसके विस्तार की प्रक्रिया में ध्यान दी जाने वाली बातों को जानने और समझने का मौका मिलता है। भारतीय उभरती बाजारों में संविदा तमक दायित्व व्यवसायिक लेन देन विवादों को सुलझाने बौद्धिक संपदा के संरक्षण और व्यवसाय के विकास में वकीलों की योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। अतः वकील किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने में अहम योगदान देते हैं।

आगे आने वाले भागों में हम तकनीकी व्यवसायिक और उच्च शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा की प्रकृति, विकास और उनके विनिमय की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।

11.4 तकनीकी शिक्षा की प्रकृति

तकनीकी शिक्षा शब्द व्यावसायिक शिक्षा के साथ भी जुड़ा है और उनका उपयोग कभी–कभी एक दूसरे के स्थान पर किया भी जाता है। इस खंड में, हम दोनों प्रकार की शिक्षा की प्रकृति, उनके महत्व और भारतीय संदर्भ में उनके विकास पर चर्चा करेंगे।

तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान जैसे आईआईटी, व्यवसाय से जुड़े सिद्धांत और विज्ञान को पढ़ाते हैं, जबकि व्यावसायिक संस्थान, जैसे आईटीआई, काम को सफलता से करने के लिए आवश्यक कौशलों के सीखने पर अधिक बल देते है। तकनीकी संस्थानों में पाठ्यक्रम के पूरा होने का पश्चात आमतौर पर स्नातक या मास्टर डिग्री प्रदान की जाती है। दूसरी ओर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाण पत्र प्रदान करते है। प्रशिक्षण के इस तरह के कोर्स (प्रमाणपत्र और डिप्लोमा) शिक्षा के निचले स्तर पर पेश किए जाते हैं। इस तरह के कोर्स विभिन्न व्यवसायों में कुशल, अकुशल या अर्ध–कुशल श्रमिकों के लये आवश्यक शिक्षण कौशलों पर बल देते हैं। कौशल विकसित करने के उद्देश्य के कारण व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाना नहीं है। दूसरी ओर, तकनीकी शिक्षा

(TE) छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर ऐसी नौकरियों के लिए तैयार करती है जहाँ पर विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं के अनुप्रयोग होता है। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दो प्रकार की होती है– संस्था आधारित और उद्योग आधारित। संस्था आधारित शिक्षा में छात्र सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कार्य प्राप्त करने के लिए प्रवेश लेते हैं और सम्बंधित निकाय से मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा या प्राप्त करते हैं। उद्योग–आधारित शिक्षा में, छात्रों को एक विशिष्ट क्षेत्र में कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षु के रूप में उद्योगों के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ वे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में जटिल गतिविधियों को पूर्ण करके ही डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स पूरे किये जाते हैं। यूनेस्को के अनुसार :

''तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सामान्य ज्ञान के अलावा, शैक्षिक प्रक्रिया के सभी रूपों और स्तरों को संदर्भित करता है, जिसमें प्रौद्योगिकी और संबंधित विज्ञान का अध्ययन और व्यावहारिक कौशल का विकास और विभिन्न तरीकों से व्यवसायों के संबंध में ज्ञान, व्यवहार और समझ शामिल है। यह एक ओर शैक्षिक संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सहकारी कार्यक्रमों के माध्यम से, और दूसरी ओर औद्योगिक, कृषि, वाणिज्यिक से संबंधित उपक्रम द्वारा किया जा सकता है'' (Source: UNESCO Convention on Technical and Vocational Education)

11.4.1 भारत में तकनीकी शिक्षा

पिछले खंड में हमने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति और विभिन्न लक्षणों पर चर्चा की है । जब आप तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में कौन से पाठ्यक्रम आते हैं? क्या आप उन संस्थानों के प्रकार के बारे में सोच सकते हैं जो निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को पढ़ाते हैं?

भारत में पढ़ाए जाने वाले कुछ तकनीकी पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं :

क) इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम

ख) इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम

ग) मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए)

घ) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)

ङ) फार्मेसी पाठ्यक्रम

च) आर्किटेक्चर और एप्लाइड आर्ट्स में पाठ्यक्रम

छ) होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम

भारत में तकनीकी शिक्षा (डिग्री और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा) संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके आवश्यक तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना है । शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य विभिन्न प्रकार के संस्थानों के द्वारा किया जाता है :

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जो कुशल श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से सम्बंधित पाठ्यक्रम प्रदान करता है,
- पॉलिटेक्निक संस्थान, जो मध्यम स्तर के शिल्पियों अथवा तकनीशियनों के कौशल विकास के लिए डिप्लोमा प्रदान करते हैं।

- इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

आगे आने वाले भाग में, हम व्यावसायिक शिक्षा के तरक्की और विकास पर स्वतंत्रता से पहले और बाद में विभिन्न समितियों और आयोगों की नियुक्ति के आधार पर चर्चा करेंगे।

11.4.2 तकनीकी शिक्षा का इतिहास

औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उपनिवेश की जरूरतों को पूरा करना था और इसकी गति प्रतिबंधित एवं धीमी थी। द्वितीय विश्व युद्ध औपनिवेशिक सरकार की नीतियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि इसके कारण देश में तकनीकी कर्मियों के प्रशिक्षण के महत्त्व को सरकार द्वारा समझा गया। इसके वजह से योजना और विकास विभाग का सृजन सर अर्देशिर दलाल के मार्गदर्शन में हुआ, जिन्होंने तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नलिखित दो मुख्य कदम उठाए

1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना (बाद में यह विभाग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से बना)
2) 1945 में देश में उच्च तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सुझाव हेतु सरकार समिति की नियुक्ति

सरकार समिति ने मेस्साचुसेट्टस प्रौद्योगिक संस्थान की तर्ज पर भारत के चार विभिन्न क्षेत्रों में चार तकनीकी शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की अनुशंसा की। यह जानना रुचिकर है कि इसके पश्चात 1951 से 1961 तक देश में पांच अलग अलग जगहों बम्बई, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास और चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये गए। ये संस्थान मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यू.के. कि तर्ज पर बनाये गए।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की स्थापना स्वतंत्रता से पहले 1945 में हुई थी और 1947 में कुशल वैज्ञानिक और प्रशासक डॉ शांतिस्वरूप भटनागर की अध्यक्षता में वैज्ञानिक जनशक्ति समिति (SMC) की स्थापना की गई जिसके कारण देश की वैज्ञानिक जनशक्ति जरूरतों का पहली बार आकलन किया गया। यह रिपोर्ट भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। देश में चल रहे पॉलिटेक्निक संस्थानों नियंत्रित करने के लिए 1948 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने बोर्ड ऑफ स्टडीज के सहयोग से भारत में पॉलिटेक्निक शिक्षा की समीक्षा की और पॉलिटेक्निक संस्थानों के काम को लेकर मानदंडों का सुझाव दिया।

राधाकृष्णन आयोग (1948 –1949) स्वतंत्र भारत का विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर बनाया गया पहला आयोग था। इस आयोग के द्वारा देश भर में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करने कि अनुशंसा के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रावधान पर बल दिया गया।

1952 में डॉ ए लक्ष्मणस्वामी मुदलियार कि अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। आयोग के अनुसार देश भर में अलग से या बहुउद्देश्यीय विद्यालयों के साथ जोड़ कर बड़ी संख्या में तकनीकी विद्यालयों को खोलने की आवश्यकता है। आयोग के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि ऐसे विद्यालयों को उद्योगों के पास बनाने चाहिए ताकि उद्योग तथा विद्यालय में समांजस्य स्थापित हो सके।

कोठरी आयोग (1964 –66) के द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज के विकास के लिए विज्ञानं और अनुसन्धान को बढ़ावा देने की बात कही गई। आयोग ने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी की। तकनीकी शिक्षा के लिए इस बात पर बल दिया गया कि उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण को तकनीकी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। आयोग ने देश की कृषि, औद्योगिक और तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा की आवश्यकता और महत्त्व को समझने का प्रयास करने पर भी बल दिया।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) ने तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के संबंधों और वर्तमान मामलों को उजागर किया और उद्योग की वर्तमान और आगे आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव दिया। इसमें यह भी कहा गया कि तकनीकी या प्रबंधन संस्थानों के बीच सक्रिय भागीदारी के द्वारा कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन, कर्मचारियों का आदान – प्रदान, प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं और संसाधन, अनुसंधान और मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।

विभिन्न आयोगों और समितियों के अलावा, पांच वर्षीय योजनाओं को पढ़ना भी सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास को सुगम बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश को सफल बनाता है।

11.4.3 विज्ञान नीति संकल्प

विज्ञान नीति संकल्प के द्वारा समय–समय पर विज्ञान और तकनीकी के महत्त्व को उजागर किया गया है। इसके कारण देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा मिला। समय के अनुसार बदलती जरूरतों के कारण नीतिगत संकल्प भी इस क्षेत्र में नए और बदलते

क्षेत्रों पर बल दिया। सबसे पहला **'विज्ञान नीति संकल्प (1958)'** में विज्ञान और तकनीकी के द्वारा समाज के विकास के उद्देश्य से सामने आया। राष्ट्रिय निर्माण में विज्ञान और तकनीकी के द्वारा सामाजिक आर्थिक बदलाव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया।

इन उद्देश्यों के लिए, विज्ञान नीति संकल्प–1958 का उद्देश्य अपने सभी विषयों में विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान को ''प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और बनाए रखना'' निर्धारित किया गया।देश में खासकर रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिकों की जरूरत को जरूरी समझा गया।

80 के दशक तक भारत के पास एक मजबूत औद्योगिक ढांचा और कृषि आधार और प्रशिक्षित मानव संसाधन की एक बड़ी प्रणाली थी।

प्रौद्योगिकी नीति (1983) में तकनीकी कुशलता और आत्मनिर्भरता को प्राप्त पर बल दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रणाली के साथ सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों को एकीकृत करने और राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली के निर्माण करना था।

पूर्व नीति की तरह ही इसका उद्देश्य भी तकनीकी के द्वारा समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाना था। इसके द्वारा अनुसंधान और विकास निवेश में भरोतरी और सरकारी एवं शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को मजबूत आधार बनाने पर ज़ोर दिया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति (2003) के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मिलने वाले फायदों को सबके सामने लाया गया और राष्ट्रिय नवाचार प्रणाली के साथ साथ अनुसन्धान और विकास में निवेश की और भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके द्वारा ऐसे शैक्षिक संस्थानों की सरंचना के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया जहाँ विज्ञान और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हों और आधारभूत अनुसन्धान के लिए वित्तीय तंत्र को भी स्थापित करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, 2003 का मुख्य उद्देश्य अनुसन्धान, विकास और नवाचार को ऐसे क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहित करना जिनका असर आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर पड़ता हो और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत को तालमेल को सुविधाजनक बनाने के लिए तंत्र विकसित करना था।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (2013) ने बड़े जनसांख्यिकीय लाभांश पर ध्यान केंद्रित किया और लोगों के लिए 'विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार' प्रतिमान स्थापित किया। इस नीति में नवाचार शब्द प्रयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देश के आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को जोड़ने के लिए किया गया। वैज्ञानिक खोजों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की गतिविधियों के परिणामों को कृषि, निर्माण, जल, स्वास्थय, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (2020) विकेंद्रीकृत होने के मुख्य सिद्धांतों, प्रमाण आधारित, नीचे से ऊपर की ओर, विशेषज्ञों द्वारा संचालित है। यह आम जनता पर केंद्रित है ओर इसके लाभ विकास को समावेशी बनाते हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

1) तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है?

.....

.....

.....

.....

2) तकनीक एवं व्यवसायिक शिक्षा में निवेश करना एक राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है?

.....

.....

.....

.....

3) विभिन्न विज्ञान नीति संकल्पों के पढ़िए और उनके उद्देश्यों में आए बदलावों की सूची बनाइए।

.....

.....

.....

.....

11.5 भारत में प्रबंधन शिक्षा

इस खंड के आरम्भ में दिए गए विषयों की सूची पर नजर डालिए। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं ? और प्रबंधन शिक्षा तकनीकी शिक्षा का हिस्सा क्यों है ? इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों पर चर्चा करने के बाद, हम प्रबंधन शिक्षा के वृद्धि और विकास पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। भारत में पहला प्रबंधन पाठ्यक्रम, 1953 में अखिल भारतीय सामाजिक कल्याण संस्थान और व्यवसाय प्रबंधन में शुरू हुआ (1958 में भारतीय सामाजिक कल्याण और व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, में बदल गया)।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलोर ने 1954 में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के लिए प्रबंधन में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 1950 के दौरान, कई विश्वविद्यालयों के प्रबंधन विभागों ने भी प्रबंधन के कार्यक्रमों को शुरू किया। जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय थे। 1957 में, आंध्र विश्वविद्यालय के वाणिज्य और प्रबंधन विभाग ने परास्नातक स्तर पर व्यवसाय प्रशासन (एमबीए) कार्यक्रम की शुरुआत की।

1961 में कलकत्ता और अहमदाबाद में पहले दो आईआईएम की शुरुआत इस उम्मीद से की गई कि इनके द्वारा मुख्य सरकारी संगठनों के प्रबंधन की देख रेख करने वाले प्रबंधकों की कमी को पूरा किया जा सके। 80 के दशक के दौरान आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के असाधारण वृद्धि के कारण ऐसे संस्थानों कि संख्या अचानक बढ़ गई जो प्रबंधन शिक्षा प्रदान कर रहे थे। निजी क्षेत्र में भी कई संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) और दो साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रदान करते हैं जिसके कारण 2011–12 से 2016–17 तक शिक्षा के नियमित रूप में पीजीडीएम/एमबीए कार्यक्रमों में नामांकन तीव्र गति से बढ़ा है।

11.6 तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए संस्थागत तंत्र

वित्तपोषण के आधार पर तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है :

- केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान
- राज्य सरकार/राज्य वित्त पोषित संस्थान
- स्व–वित्तपोषित संस्थान

केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी और वैज्ञानिक शैक्षिक संस्थान निम्नलिखित हैं:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) – वर्तमान में 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी और वाराणसी हैं।

प्रबंधन के भारतीय संस्थान (आईआईएम) – देश में कुल 20 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं। ये बैंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझीकोड, उदयपुर, त्रिची, रायपुर, रोहतक, शिलांग, काशीपुर, रांची, नागपुर, विशाखापत्तनम, अमृतसर, बोधगया, सिरमौर, संबलपुर और जम्मू में स्थित हैं।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISERs)– भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान माने जाते हैं। वर्तमान में, पूरे देश में सात मुख्य भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के भारतीय संस्थान (IIIT) :

i) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद

ii) अटल बिहारी वाजपेयी – भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर (ABV IIITM)

iii) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, (IIITDM) जबलपुर

iv) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, (IIITDM) कांचीपुरम।

v) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और विनिर्माण (IIITDM) कुरनूल, आंध्र प्रदेश

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (NITTTRs)– राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में देश में स्थापित किए गए थे। ऐसे चार संस्थानों में से पहला 1965 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, अन्य तीन चंडीगढ़, भोपाल और चेन्नई में थे।

6) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) – 31 एनआईटी हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

7) अन्य केन्द्रीय संस्थान

i) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग (NITIE), मुंबई

ii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी (NIFFT), रांची

iii) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA), नई दिल्ली

iv) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), भोपाल

v) विद्यालय ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), विजयवाड़ा

vi) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार

vii) संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SLIET), लोंगोवाल, पंजाब

viii) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (NERIST), ईटानगर

ix) घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (GKCIET), मालदा, पश्चिम बंगाल

संस्थाओं को वर्गीकृत करने का एक तरीका उनकी संबद्धता, प्रबंधन और मान्यता के आधार पर भी है :

- IIMs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जाना जाता है
- विश्वविद्यालय के विद्यालय या विभाग या IITs या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) के विद्यालय या विभाग
- विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी या सरकारी संस्थान
- AICTE द्वारा अनुमोदित निजी या सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान
- विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी या सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान और एआईसीटीई (AICTE) द्वारा अनुमोदित

- निजी संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं और न ही एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित हैं
- AICTE द्वारा अनुमोदित निजी संस्थान जो भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रबंधन पाठ्यक्रमों चला रहे हैं, जहाँ विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

प्रबंधन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विभिन्न स्तर नीचे दिए गए हैं :

तकनीकी शिक्षा के स्तर

स्तर	पानता आवश्यकता	डिग्री का नाम	वर्षों में
स्नातक	(10+2)	बीटेक या बी.ई.	04
परास्नातक	स्नातक	एम.टेक या एम.ई.	02
पूर्व–डाक्टरल	परास्नातक	एम. फील	01
डॉक्टरल	परास्नातक	पी.एच.डी.	03
पोस्ट डॉक्टरल	पी.एच.डी.	डी.लिट.	03
खास डॉक्टरल	स्नातक	एडवांस डिल्लोमा	01
डिप्लोमा	10+2	डिप्लोमा	01
प्रभावपत्र	10+2	प्रभाव पत्र	01

अन्य प्रचलित नामकरण इस प्रकार हैं : BE, BTech, BChE, BChem Tech, BTele, BText, BCE, BEE, BEE, BME, DEng, ME, MTech, MChE, MText, MEE, MME, PhD

(**Source:** www.ugc.ac.in, Accesses on 20-01-2020)

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

11.7 तकनीकी और प्रबंध शिक्षा का विनियमन

इंजीनियरिंग और प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान उच्च शिक्षा का हिस्सा हैं और वे शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में एमएचआरडी) के उच्च शिक्षा विभाग का एक हिस्सा हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) : प्रबंधन शिक्षा की योजना, समन्वय और नियमन का काम हमारे देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) करती है। स्वतंत्रता से पहले 1945 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE को एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सिफारिश के बाद 1987 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया (AICTE Act, 1987)।

AICTE राज्य और निजी स्तर के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की मान्यता के लिए जिम्मेदार है। यह तकनीकी शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि के साथ –साथ मात्रात्मक वृद्धि के मानकों की पूर्ति का रखरखाव करता है। एआईसीटीई के नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडिटेशन का उद्देश्य तकनीकी संस्थानों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के मानकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के समकक्ष लाना है। मान्यता की प्रक्रिया बहुत कठोर है और इसमें कई इनपुट हैं, जैसे कि शिक्षण की गुणवत्ता, अनुसंधान का स्तर, संकाय विशेषज्ञता, शिक्षकों का मूल्यांकन, और संस्थान में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और संसाधनों का मानक।

पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर परिषद् को तकनीकी शिक्षा के नियोजन और विकास के लिए, संस्थानों का रख–रखाव और सामयिक मूल्यांकन के लिए देश भर में सात वैधानिक क्षेत्रीय समितियां हैं। भारत ने तकनीकी सुविधाओं की ऐसी स्थापना की है जो इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और अन्य तकनीकी–प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम और सुविधाओं की समीक्षा और अद्यतन से सम्बंधित सहायता प्रदान कर सके। एआईसीटीई द्वारा निष्पादित एक और महत्वपूर्ण कार्य नए निजी महाविद्यालयों की स्थापना को विनियमित करना है।

यह देखना दिलचस्प है कि पिछले बीस वर्षों में, कई ऐसे निजी क्षेत्र के 'स्व–वित्तपोषित' संस्थान सामने आ गए हैं जो सरकारी अनुदान पर आश्रित न होकर छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क से काम चलाते हैं। एआईसीटीई (AICTE) ने हाल ही में तकनीकी संस्थानों की मान्यता शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ एक्रिडिटेशन (एनबीए) की स्थापना की थी। पिछले 25 वर्षों में तकनीकी शिक्षा की विकास दर बहुत अधिक बढ़ गई। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम लगभग चार गुना बढ़ गए। पहले इंजीनियरिंग में सिर्फ तीन बुनियादी शाखाएँ थीं जिन्हें आमतौर पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के रूप में जाना जाता था। तीन शाखाओं का विस्तार हुआ और 41पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर हैं और स्नातकोत्तर में 100 से अधिक पाठ्यक्रम हैं। नवीनतम और बहुत लोकप्रिय क्षेत्रों में से कुछ में जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैंय इंजीनियरिंग में शाखाओं की उन्नति के संबंध में नैनो टेक्नोलॉजी आदि, पर्यावरण इंजीनियरिंग, महासागर इंजीनियरिंग और जलवायु परिवर्तन आदि कुछ अन्य पाठ्यक्रम हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

5) तकनीकी शिक्षा को विनियमित करने में (AICTE) एआईसीटीई की भूमिका पर गहन चर्चा करें।

.....

.....

.....

11.8 भारत में व्यावसायिक शिक्षा

'व्यावसायिक शिक्षा' और 'व्यावसायिकता' शब्द का अर्थ अलग–अलग तरीके से लिया जाता हैं। इस खंड में हम 'व्यावसायिक शिक्षा' को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी व्यावसायिक संस्थान (प्रोफेशनल स्कूल) (मेडिकल या लॉ महाविद्यालय) में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान और तकनीकों के इस्तेमाल का अध्ययन किया जा सके। ऐसी शिक्षा न केवल विद्यार्थियों को सामग्री प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि सही अभ्यास और व्यवहार के लिए आवश्यक दक्षताओं को सिखने में भी मदद करती है। व्यावसायिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं : विषय से सम्बंधित ज्ञान और मूल्य, अभ्यास के लिए प्रमुख अवधारणाएं और तकनीक ज्ञान और दक्षता के ऐसे स्तर को पाना जिसके कारण व्यवसाय को गंभीरता से लिया जा सके।

व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि व्यवसाय से सम्बंधित लोग एक सामाजिक आवश्यकता के कारण ही कोई सेवा प्रदान करते हैं। क्या आप ऐसे विषय के बारे में सोच सकते हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा या कानूनी सेवा के सामाजिक आवश्यकताओं के जवाब में सेवा प्रदान कर रहे हों? जो लोग समाज को सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए उनसे व्यवहार में आचार संहिता या नैतिकता का पालन करने की भी अपेक्षा की जाती है।

व्यावसायिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज की जरूरतों के हिसाब से सेवाएं प्रदान करती हैं और ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षित लोगों द्वारा विशेषज्ञ सहायता प्रदान की जाती है।

आगे वाले उपभाग में हम भारत में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

11.8.1 चिकित्सा शिक्षा–इसका महत्व

विकासशील देश कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों का सामना सही तरीके से करने के लिए, एक बहुत ही मजबूत चिकित्सा तंत्र की आवश्यकता है। इस कारण से, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा देखभाल के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) अपने विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से दक्ष बनाकर एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने में मदद करते हैं।

चिकित्सा महाविद्यालयों के द्वारा दी जा रही चिकित्सा शिक्षा का महत्व इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि वे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। उनका योगदान देश में एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आवश्यक मानव संसाधन का निर्माण करना है। मेडिकल महाविद्यालय सिर्फ चिकित्सक (डॉक्टर्स) ही नहीं बनाते हैं अपितु योग्य चिकित्सा शिक्षक और पैरामेडिकल स्टाफ को भी समाज में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए काम में लगाते हैं। मेडिकल महाविद्यालयों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो नई खोजों के लिए चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए फायदेमंद हो। वे स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में आवासीय कर्मचारी और छात्र होते हैं। इसलिए, बड़े अस्पतालों से जुड़े चिकित्सा संस्थान स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल, स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था की भलाई को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

11.8.2 वृद्धि और विकास

भारत में ऐसे चिकित्सा शिक्षण संस्थान हैं जो की पश्चिमी चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) में साढ़े पांच साल के कार्यक्रम को चलाते हैं और इन कार्यक्रमों को एलोपैथिक चिकित्सा में बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) की डिग्री के रूप में जाना जाता है। एक मेडिकल महाविद्यालय अक्सर एक तृतीय वर्ग के अस्पताल से जुड़ा नहीं होता है जो तकनीकी और विशेष प्रकृति की देखभाल प्रदान करता है अर्थात्, अधिकतर मेडिकल महाविद्यालय प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल प्रदान करने वाले अस्पतालों से ही जुड़े हुए होते हैं।

ब्रिटिश काल में जब मद्रास चिकित्सा संस्थान की स्थापना हुई तब 1835 में भारत में मेडिकल महाविद्यालय की शुरुआत हुई। इसके पश्चात 1840 एक और मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना गॉथ में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। 1850 के बाद भारत में तीन विश्वविद्यालय चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में खुलने के उपरान्त मेडिकल महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संबद्ध होने लगे।

1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारत में पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति (ऐलोपैथी) के 23 प्रशिक्षण संस्थान थे। इनमें से एक वेल्लोर महाविद्यालय को छोड़ कर वाकी सभी सरकार के अंतर्गत आते थे। इन सभी महाविद्यालयों से कुल मिलाकर 4000 से भी कम स्नातक प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलते थे। पिछले सात दशकों में भारत में मेडिकल महाविद्यालयों की संख्या में बड़ी तेजी आई है। भारत में पूरे विश्व में सबसे अधिक मेडिकल महाविद्यालय हैं। पिछले तीस सालों में निजी क्षेत्र में भी चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है।

नवीनतम आंकड़ों (2020) के अनुसार पूरे देश में 541 मेडिकल महाविद्यालय हैं जिनमें से 280 सरकारी और 261 निजी स्तर के हैं। इन मेडिकल महाविद्यालयों में 80312 एमबीबीएस की सीटें हैं।

11.8.3 नियामक तंत्र

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा भारत में चिकित्सा शिक्षा को विनियमित किया गया था। इसके कामकाज में अधिक समस्याएं सामने आई और इसकी भूमिका और संरचना ने इसके कामकाज को सही तरीके से नहीं होने दिया। इसके कामकाज जवाबदेही की कमी पाई गई अतः पहले के अधिनियम को भंग करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का गठन किया गया।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का गठन संसद के एक अधिनियम जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है, के द्वारा किया गया जो 25. 9.2020 को लागू हुआ। इस नियामक प्राधिकरण से निम्नलिखित भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा की जाती है :

ए) चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां और नियम बनाना,

बी) चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा से जुड़े लोगों को विनियमित करने के लिए नीतियों को रखना और इस संबंध में आवश्यक नियम बनाना,

ग) स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानव संसाधन सहित अन्य आवश्यकताओं का आकलन करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोड मैप विकसित करना,

घ) इस अधिनियम के तहत प्रभावी कार्य के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों और विनियमों का राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किया जाना,

() चिकित्सा पेशे में लोग नैतिकता का पालन सुनिश्चित करने और चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा देखभाल के प्रावधान के दौरान नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और मानकों को बनाना, तथा

च) फीस और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण और निजी चिकित्सा संस्थानों में सीटों के आवंटन के लिए दिशा–निर्देश जारी करना।

एनएमसी की संरचना

एक विधेयक के द्वारा एमसीआई को एनएमसी से बदल दिया गया जिसके सदस्यों को नामित किया जाएगा। एनएमसी (NMC) में 25 सदस्य शामिल होंगे :

i) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निदेशक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक

ii) किसी भी एम्स (AIIMS) के निदेशक

iii) पांच सदस्य (अंशकालिक) पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा चुने जाएंगे,

iv) चिकित्सा सलाहकार परिषद में राज्यों के नामांकित व्यक्ति (छह सदस्य) नियमित आवर्तन के आधार पर

इन 25 सदस्यों में से कम से कम 15 (6%) चिकित्सक हैं। एमसीआई में अधिकतर ऐसे डॉक्टर शामिल थे जो सार्वजनिक हित से ऊपर व्यक्तिगत हित अधिक महत्त्व देते हैं डॉक्टरों के एकाधिकार को कम करने के लिए, विशेषज्ञों द्वारा यह सिफारिश की गई है कि

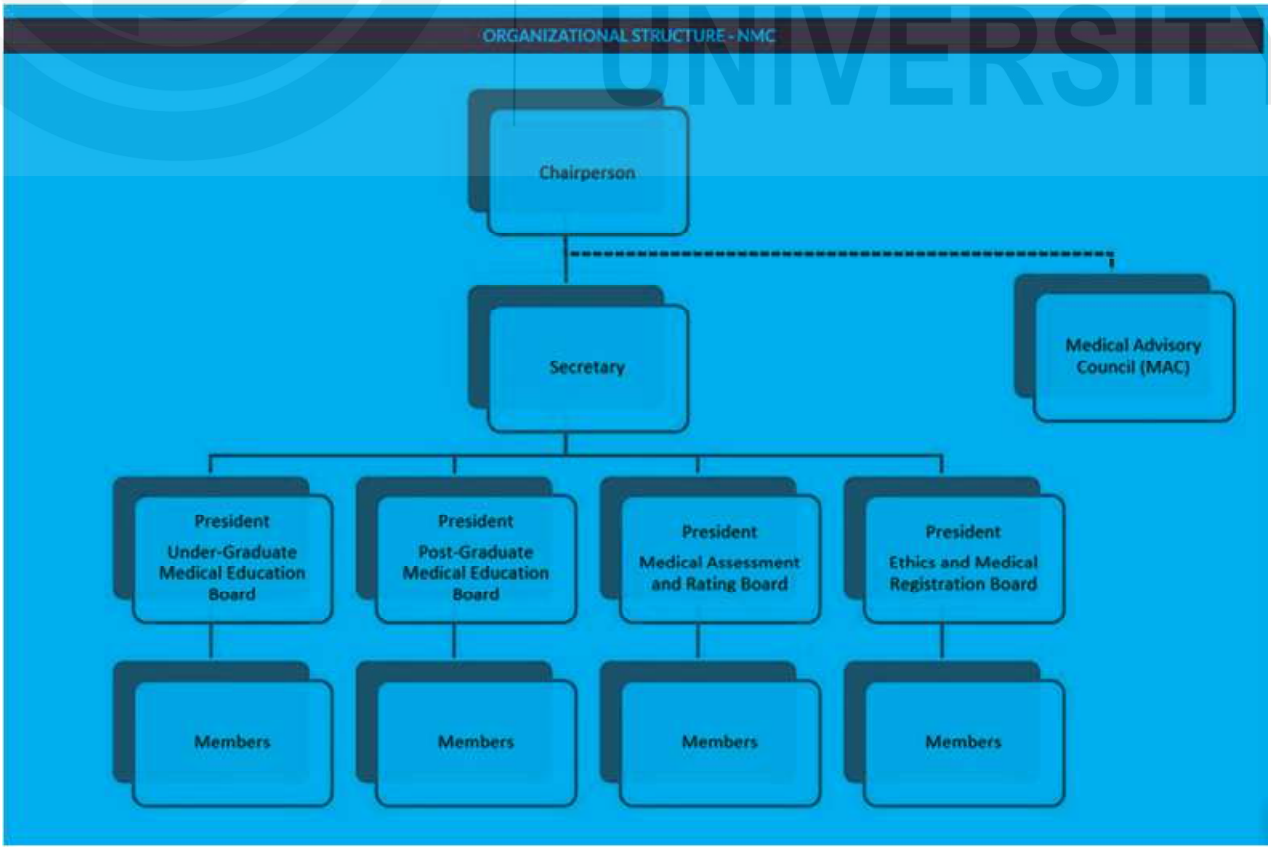

एमसीआई में विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए जैसे की जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सामाजिक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री इत्यादि। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में, जनरल मेडिकल काउंसिल जो चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने का कार्य करती है जिसमें 12 मेडिकल प्रैक्टिशनर और 12 अन्य सदस्य (जैसे जन स्वास्थ्य सदस्य, स्थानीय सरकार के प्रशासक) शामिल हैं।

एनएमसी की संगठनात्मक संरचना

क्या एनएमसी के अंतर्गत नियामक निकाय स्थापित किए जा रहे हैं?

विधेयक के द्वारा एनएमसी की देखरेख में चार स्वायत्त बोर्ड बनाए गए प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य जिसमें से दो सदस्य अंशकालिक होंगे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे यह निकाय हैं :

अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड : यह दो निकाय मानक तय करने के लिए पाठ्यक्रम और चिकित्सा शिक्षा के दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए तथा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पात्रता को निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड

यह बोर्ड ऐसे संस्थानों पर आर्थिक जुर्माना लगा सकता है जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल मेडिकल एजुकेशन बोर्ड तथा पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। यह बोर्ड नए मेडिकल महाविद्यालयों को खोलने की अनुमति देने का कार्य भी करेगा तथा मेडिकल महाविद्यालयों में सीटों की संख्या को भी बढ़ा पाएगा।

नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड

यह बोर्ड देश में सभी लाइसेंस धारक चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगा, और चिकित्सा आचरण को भी सही करेगा। केवल रजिस्टर में शामिल डॉक्टरों को अभ्यास

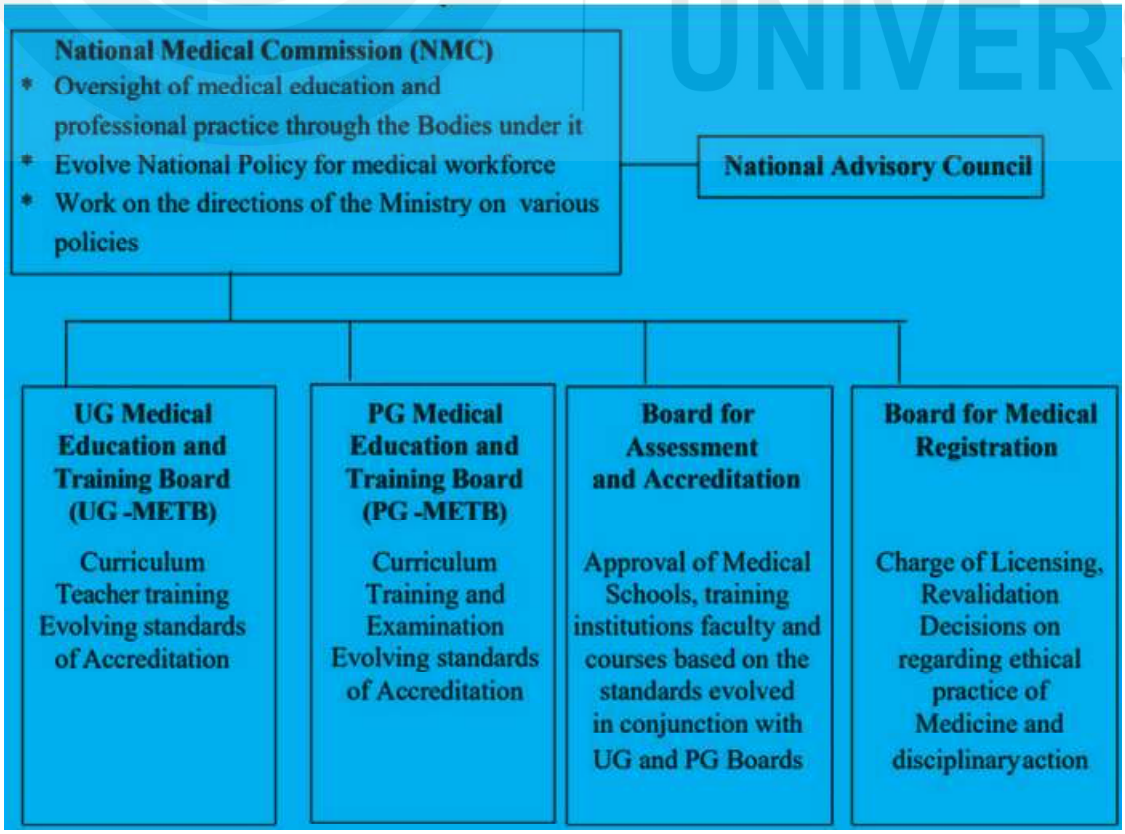

करने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड देश में सभी लाइसेंस धारक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले लोगों का भी के एक रजिस्टर बनाएगा। (Source: PTI)

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन उन समस्याओं के समाधान करने के लिए किया गया है जिनका समाधान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के द्वारा नहीं हो पाया था। एमसीआई अधिनियम (इंटरनेट से) की एक प्रति प्राप्त कर इसका अध्ययन करें और इन दोनों नियामकों के बीच अंतर का पता लगाएं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

6) चिकित्सा व्यवसाय प्रबंधन व्यवसाय से क्यों भिन्न है

.....

.....

.....

.....

.....

11.8.4 कानूनी शिक्षा का महत्त्व

आजादी से पहले देश के बहुत कम विद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा दी जा रही थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, कानून सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है इस बात को ध्यान में रखते हुए, कानूनी शिक्षा को महत्व को बढ़ावा मिला। आजादी मिलने तक, भारत में कानूनी शिक्षा कुछ विद्यालयों तक ही सीमित थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश के लोगों को संविधान मिला जिसे द्वारा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और मौलिक अधिकारों की संवैधानिक अधिकार मिला। लोगों को न्याय और अधिकार सुनिश्चित करना तब तक संभव नहीं था जब तक देश में कानून के क्षेत्र में अच्छी समझ रहने वाले प्रशिक्षित पेशेवर न हों। इसके परिणाम स्वरुप कानूनी शिक्षा देश में प्राथमिकता बन गई। आजादी के कुछ साल बाद, देश में कानूनी शिक्षा की संरचना और रूपरेखा में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानून को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा गया।

11.8.5 कानूनी शिक्षा के लिए संस्थागत तंत्र

वर्तमान में भारत में दो प्रकार के प्रतिमान उपलब्ध हैं, एक 3 वर्षीय बैचलर ऑफ लॉ जो कई विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रदान किया जाता है और दूसरा दूसरा नेशनल लॉ विद्यालय के द्वारा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कार्यक्रम जैसा कि बेंगलुरु में चलाया जा रहा है। कानूनी शिक्षा ग्रैजुएट डिग्री के बाद 3 वर्षीय ग्रैजुएट डिग्री के तौर पर प्रदान की जाती है। हाल ही में, एक एकीकृत पांच–वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम (डबल डिग्री) पेश किया गया, जो 12 वीं कक्षा के बाद तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। जो कानून का अध्ययन करना चाहते हैं वे सीधे विश्वविद्यालयों में दाखिला ले सकते हैं।

छात्रों को एक एकीकृत डिग्री मिलती है, अर्थात, स्नातक की डिग्री और कानून की डिग्री एक साथ दी जाती है और छात्र महाविद्यालय में एक साथ दोनों के विषयों का अध्ययन करता है। कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, एक एकीकृत डिग्री दी जाती है, इस डिग्री में तीन साल की स्नातक की डिग्री पूरी होने के बाद, केवल कानून विषयों को पढ़ाया जाता है और डिग्री प्रदान की जाती है। एकीकृत पाठ्यक्रम में, छात्रों को विधि पाठ्यक्रमों के साथ विज्ञान पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। दोनों कार्यक्रम एक सेमेस्टर में रखे जाते हैं। छात्रों के लिए प्रति सप्ताह मूट कोर्ट, सेमिनार और ट्यूटोरियल कक्षाएं चलाई जाती हैं। छात्रों को कानूनी सहायता कार्यालयों या वकील के कार्यालय या किसी भी स्थान पर जहां कानूनी काम किया जा सकता है, में इंटर्नशिप करने को कहा जाता है।

एक विषय के रूप में कानून का अध्ययन करने के अलावा, कानून विषय से सम्बंधित कई अन्य विषय भी हैं जैसे– कि व्यापार कानून, टैक्स कानून, कंपनी कानून, आदि। विभिन्न संस्थानों जैसे बिजनेस विद्यालय के द्वारा साइबर, टैक्स, बैंकिंग कानून, तथा मानवाधिकार, कानूनी साक्षरता, बौद्धिक संपदा, सुरक्षा कानून और कंपनी कानून जैसे क्षेत्रों में डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

11.8.6 नियामक तंत्र : बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया (BCI)

बार काउंसिल ऑफ इंडिया संसद द्वारा बनाई गई ऐसी वैधानिक संस्था है जो भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करती है और इसे विनियमित करने का कार्य भी करती है। व्यवसाय से सम्बंधित आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करना भी इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक निरधारण के साथ साथ विश्वविद्यालयों को मान्यता भी प्रदान करता है जहाँ से लॉ की डिग्री प्राप्त करके छात्र एक वकील के रूप में नामांकन कर सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ संस्थान के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है ताकि वह संस्थान लॉ की डिग्री देने में पात्र बन सके। बार काउंसिल, डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों में पर्यवेक्षण का कार्य, शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी करती है। पर्यवेक्षण के द्वारा बार कॉउन्सिल यह निर्धारित करती है कि संस्था आवश्यक मानकों को पूरा करने में समर्थ है तभी इसके द्वारा प्रदान की गई डिग्री को मान्यता देती है। कानूनी शिक्षा से सम्बंधित बार कॉउन्सिल के कार्य हैं :

1) कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और कानूनी शिक्षा के मानकों को पूरा करने के लिए योजना। यह कार्य भारत में ऐसे विश्वविद्यालयों जहाँ पर कानूनी शिक्षा प्रदान की जा रही हो तथा राज्य बार काउंसिल के परामर्श से किया जाता है।

2) ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जहाँ से कानून की डिग्री प्राप्त करके छात्र एक वकील के रूप में नामांकन कर सकें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालयों का निरीक्षण या तो स्वयं करती है या स्टेट बार काउंसिल को विश्वविद्यालयों के निरीक्षण का कार्य सौंपती है।

11.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

पहले की चर्चा से यह स्पष्ट है कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं। आपकी राय में क्या इन अलग अलग संस्थानों के काम करने से अपेक्षित मानकों को बनाए रखने में सहायता मिलती है या सभी क्षेत्रों के लिए एक ही संस्था होनी चाहिए? हाल ही में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी विभिन्न संस्थाओं की

अपेक्षा एक ऐसे नियामक की बात करती है जो देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं का काम एक साथ देख सके।

भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद (HECI) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र प्रस्तावित हैं।

भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद का पहला प्रभाग राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (NHERC) होगा जो उच्च शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ शिक्षक शिक्षा के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगा। इस नियामक के अंतर्गत चिकित्सा और कानूनी शिक्षा नहीं आएगी।

भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद की दूसरा प्रभाग, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC) होगा जो बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व–प्रकटन, सुशासन और परिणामों के आधार पर संस्थानों को मान्यता देने का कार्य करेगा।

भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद की तीसरा प्रभाग, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल (HEGC) होगा, जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण का काम करेगा।

भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद का चौथा प्रभाग सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) होगा, जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को बनाएगा जिसे 'स्नातक गुण' भी कहा जाता है। (Source: The HT)

11.10 21वीं शताब्दी में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा हेतु कौशल

क्या आपने हाल के दिनों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की तीव्र गति से हो रही उन्नति और उसके बढ़ते इस्तेमाल पर ध्यान दिया है? क्या आपको लगता है कि ज्ञान बहुत तेजी से बदल रहा है और आपको अपने ज्ञान को सामयिक बनाये रखने कि जरूरत है ? 21वीं सदी आते आते पूरे विश्व ने हर क्षेत्र जैसे शिक्षा, वैश्विक व्यापार, अर्थव्यवस्था और तकनीकी या समाज में बहुत तेजी से हो रहे बदलाव को महसूस किया है। वर्तमान में कोविड –19 महामारी ने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों को लाकर खड़ा कर दिया। इस तरह के बदलावों को ध्यान में रखते हुए, एक व्यक्ति द्वारा ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए और वास्तविक जीवन में सफल होने के लिए एक अलग तरह के कौशल–समूह की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी समग्र प्रगति होती है। इन कौशलों को 21 वीं सदी के कौशल/शिक्षण कौशल/पारगमन कौशल आदि के रूप में जाना जाता है।

''21 वीं सदी के कौशल'' एक ऐसे कौशल समूह को कहा जाता है जिसमें ज्ञान, कौशल, काम करने की आदत और चारित्रिक विशेषता का समावेश होता है जिन्हें शिक्षकों, विद्यालय के सुधारकों, महाविद्यालय के प्रोफेसरों, नियोजकों के द्वारा आज की दुनिया में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन जाता है। "सरल शब्दों में, 21 वीं सदी के कौशल उन कौशलों को कहा जाता है जो 21 वीं सदी की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए, वैश्विक स्तर पर सक्रिय रहने के लिए, डिजिटल रूपांतर के लिए , मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए, रचनात्मक रूप से प्रगति के लिए, सक्षम मानव–संसाधन और बदलाव के अंगीकरण के लिए आवश्यक हों। (शिक्षा की शब्दावली, 21 वीं शताब्दी के कौशल के लिए सीबीएसई हैंडबुक)

निम्न तालिका 21वीं सदी के कौशल को दर्शाता है :

21वीं सदी के कौशल

सोचने के तरीके

1. सृजनात्मकता और नवाचार
   - रचनात्मक तरीके से सोचना
   - रचनात्मकता के साथ दूसरों के साथ मिलकर काम करना
   - नवाचार लागू करना
2. गहन सोच, समस्या का हल और निर्णय लेने की क्षमता
   - तर्क शक्ति का विकास और तथ्यों का गहन अध्ययन
   - समस्याओं का हल
   - निष्कर्ष निकालना
3. सीखने के लिए सीखना और अधिसंज्ञान
   - स्व प्रेरणा
   - सीखने की सराहना करना
   - अनुकूलन क्षमता और लचीलापन

कार्य करने के तरीके

1. संचार एवं संपर्क
   - भाषा के लिखने और बोलने की क्षमता
   - ग्रहणशीलता और सुनने की कला
   - सांस्कृतिक अंतर के प्रति संवेदनशीलता
2. सहकार्य एवं टीम वर्क
   - दूसरों के साथ प्रभावी वार्तालाप
   - विभिन्न टीमों के साथ प्रभावी तालमेल
   - परियोजनाओं की प्राथमिकता, योजना और प्रबंधन

कार्य करने के लिए उपकरण

1. सूचना सम्बन्धी साक्षरता
   - सूचना तक पहुँच और उसका मूल्यांकन
   - सूचना का उपयोग और प्रबंधन
   - तकनीकी का सही इस्तेमाल
2. आईसीटी साक्षरता
   - नए विचारों, सूचनाओं, उपकरणों और सोचने के तरीकों के लिए खुलापन
   - आईसीटी का सही, रचनात्मक, नैतिक और वैध रूप से उपयोग
   - सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नताओं की जानकारी रखना
   - तकनीकी का सही और प्रभावी तरीके से लागू करना

वैश्विक अस्तित्व

1. नागरिकतारू वैश्विक और स्थानीय
   - वैश्विक नागरिकता हेतु आवश्यक अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता और समझ
   - सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए तैयारी
   - दूसरों के मूल्यों और निजता का सम्मान
2. व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियां
   - विभिन्न सामाजिक स्थितियों में रचनात्मक रूप से संवाद करना
   - दूसरों की राय और दृष्टिकोण के प्रति समझ विकसित करना
3. जीवन और पेशा
   - परिवर्तन के अनुकूल
   - लक्ष्य और समय का प्रबंधन
   - स्व–निर्देशित व्यक्ति बनना
   - दूसरों के साथ प्रभावशाली वार्तालाप

वैश्विक स्तर पर ऐसी तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जो ऊपर लिखी गई 29वीं सदी के कौशल और योग्यताओं का विकास कर सके। (Source - https://www.gwsc.vic.edu.au/page/214/21st-Century-Skills-Framework)

11.11 सारांश

तकनीकी, व्यवसाय और व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने व्यावसायिक और कानूनी शिक्षा देने वाले संस्थानों के विस्तार को अपनाया। भारत की यह स्थिति स्वतंत्रता–पूर्व काल से बिल्कुल अलग थी।

शिक्षा एक समवर्ती विषय है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कार्य क्षेत्र में आती है । पूरे देश में उच्च शिक्षा को सही दिशा देने और उसके विनियमन हेतु संसद के अधिनियमों द्वारा AICTE (एआईसीटीई), NMC (एनएमसी) और BCI (बीसीआई) जैसे निकायों को अधिकार दे कर मजबूत बनाया गया है। समय बीतने के साथ साथ , नियामकों की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव लाया गया है ताकि वे अपने कार्यों को अधिक अच्छे तरीके से और पारदर्शी रूप से निष्पादित कर सकें ।

भारत ऐसे संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क बनाने में सक्षम है जो उद्योगों और समाज की आवश्यकता के अनुसार कुशल श्रमशक्ति का उत्पादन कर सके। फिर भी भारत में आवश्यकता के अनुसार पूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। एक ओर मात्रात्मक विस्तार की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता पर ज़ोर देना भी आवश्यक है ।

तेजी से हो रहे भूमंडलीकरण और प्रोद्योगिक बदलावों की स्थिति में यदि भारत को आगे रहना है, तो स्नातकों को 21 वीं सदी के कौशल और आवश्यक योग्यताएं हासिल करना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए समुदाय ,उद्योग और सभी हितधारकों के साथ परस्पर संबंध बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।

11.12 अभ्यास प्रश्न

1) भारत में तकनीकी शिक्षा की वृद्धि और विकास की चर्चा करें।

2) तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के वित्त पोषण के विभिन्न वर्गों पर चर्चा करें? वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं?

3) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की तुलना में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा लाये गए बदलावों पर चर्चा करें। आपकी राय में, एक बेहतर नियामक कौन है और क्यों?

11.13 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

- AISHE (2015).All India Survey on Higher Education 2013-14, GOI. Ministry of Human Resource Development of Higher Education. ND, India, p 19, Retrieved on July 20, 2019 from http://aishe.nic.in/home
- Government of India (1966). Education and National Development. New Delhi, India: Ministry of Education.
- Padma M.C., Sridhar V. (2015) Role of Industry-Institute Interaction to Promote Education and Entrepreneurship. In: Natarajan R. (eds) Proceedings of the International Conference on Transformations in Engineering Education. Springer, New Delhi

- Powar, K. B. (2012). Expanding Domains in Indian Higher Education. New Delhi, India: Association of Indian Universities Publications, New Delhi
- United Nations (2000). United Nations millennium declaration. Retrieved on 25.07.2019from http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.html
- https://economictimes.indiatimes.com/jobs/strengthen-industryhigher-education-relationship/articleshow/46628867.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

11.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) भाग 11.8 देखें;

2) अपने मत अनुसार उत्तर लिखें;

3) उपभाग 11.8.3 देखें।

4) भाग 11.6 के अनुसार उत्तर दें।

5) की भूमिका की चर्चा करें।

6) अपनी समझ के अनुरूप उत्तर दें।

इकाई 12 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम एवं ऑनलाइन शिक्षा

इकाई संरचना

12.1 परिचय

12.2 उद्देश्य

12.3 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम ''ओडीएल'' और उच्च शिक्षा

12.4 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के प्रकार और प्रकृति

12.5 मुक्त एवं दूरस्थ संस्थानों का प्रबंधन

- 12.5.1 संचालन
- 12.5.2 पदाधिकारी
- 12.5.3 ओडीएल प्रणाली की उपव्यवस्था
- 12.5.4 नियामक तंत्र

12.6 ऑनलाइन शिक्षा

- 12.6.1 अर्थ और परिभाषा
- 12.6.2 लाभ
- 12.6.3 ऑनलाइन शिक्षा के सिद्धांत

12.7 भारत में ऑनलाइन शिक्षा

12.8 ऑनलाइन शिक्षा का नियामक तंत्र

12.9 सारांश

12.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

12.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.1 परिचय

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ODL) प्रणाली ने एक लंबा सफर तय किया है। पहले के पत्राचार शिक्षा से लेकर हाल ही में ऑनलाइन और डिजिटल अधिगम, तक यह एक सुधारवादी परिवर्तन से गुजरा है। शिक्षा की औपचारिक पारंपरिक प्रणालीएमुख्य रूप से आमने–सामने के शिक्षण पर केंद्रित थी, जो उन सभी को शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं थी जो शिक्षित होना चाहते थे। शिक्षा का विकास असमान था, और उच्च शिक्षा के नए संस्थानों के निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम व्यवस्था उन लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था जो औपचारिक प्रणाली तक नहीं पहुंच सकते थे।

भारत में, ODL प्रणाली पूरी तरह से कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ विकसित हुई है। इस इकाई को समाप्त करने के बाद, मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली के अर्थए प्रकृति और विकास के साथ.साथ प्रणाली में उभरती प्रवृत्तियों को भी समझेंगे। मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली उच्च शिक्षा में कैसे योगदान दे रही है? संस्थानों का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है? और कैसे मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली को विनियमित किया जा रहा है? यह इकाई ऐसे कई सवालों के उत्तर खोजने में आपकी सहायता करने का प्रयास करेगी।

12.2 उद्देश्य

इकाई के समाप्त होने के बाद, आप :

- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम की प्रकृति और इसकी विशेषताओं को को समझ सकेंगे;
- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ODL) के योगदान की सराहना कर सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार के (ODL) संस्थानों के बीच अंतर कर सकेंगे;
- मुक्त एवं दूरस्थ संस्थानों के प्रबंधन में विभिन्न उपप्रणालियों की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे;
- ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता और महत्व की न्यायसंगतता सिद्ध कर सकेंगे; और
- भारत में मुक्त एवं दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के नियामक तंत्र पर आलोचनात्कम रूप से चिंतन करना

12.3 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ओडीएल)

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम का उदय पत्राचार शिक्षा (यूके और भारत), बाहरी अध्ययन या ऑफ.कैम्पस (ऑस्ट्रेलिया), फर्नास्टूडियम/फर्नुंटररिच (जर्मनी), एडुकेशन ए डिस्टानिका (स्पैनिष), एक्स्ट्रा-म्यूरल (न्यूजीलैंड) आदि से हुआ। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) के रूप में स्वीकृत अधिक रूप में अधिक विकसित हुआ है। इससे पूर्व इसका नाम पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रतीक था।

भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत 1962 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रमों से जा सकती है।

इसकी कुछ निश्चित विशेषताएं हैं जो (ODL) को विशिष्ट बनाती हैं :

जीवन में किसी भी समय अवसर के रूप में ओडीएल : प्रवेश आयु पर किसी भी प्रतिबंध के बिना, ओडीएल किसी भी समय सीखने का अवसर प्रदान करती है, जब विद्यार्थी सीखने के लिए इच्छा करता हो तथा तत्पर हो। परिणामस्वरूप, शिक्षार्थी किसी भी उम्र में प्रवेश लेते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। बुजुर्ग लोगों के बारे में कई सफलता की कहानियां हैं जिन्होंने ओडीएल संस्थानों की मदद से अपने शैक्षिक सपने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं।

औपचारिक उच्च शिक्षा के विकल्प के रूप में ओडीएल : भारत में उच्च शिक्षा के लिए ओडीएल एक लागत प्रभावी विकल्प के रूप में उभरा है। कई शिक्षार्थी जो औपचारिक उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं, अपनी उच्च शिक्षा को ODL मोड के माध्यम से पूरा

करते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, शिक्षण सामग्री, अन्य शिक्षण संसाधन और मीडिया की विविधता एक प्रभावी और सार्थक सीखने का अनुभव प्रदान करते हैं।

1940 में अपनी विद्यालयी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्, मैं उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाना चाहता था परंतु इसके लिए मुझे या तो विची अथवा चेन्नई जाना पड़ता। इसी बीच, मेरे माता–पिता बीमार पड़ गए और मेरे संबंधियों ने मुझे सुझाव दिया कि पढ़ाई के लिए बाहर जाने के स्थान पर मुझे अपने माता–पिता का ध्यान रखना चाहिए। अतः मुझे एक जॉब मिली और मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने पाया कि इग्नू में आयु का कोई प्रतिबंध नही है और तब मैने लोक प्रशासन के स्नातकस्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया। इसके बाद भी मैंने अपने बच्चों को कहा कि मुझे नहीं पता कि इस पाठ्यक्रम को समाप्त करने तक मैं जीवित भी रहूँगा या नही। उन्होंने यह भी कहा, स्नातक करने के पश्चात् मैंने परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

Source; http:www.indiatoday.in/education-today/news/story/93-Year-old-youngster-lucomes-ignou-s

शिक्षार्थी केंद्रित, आवश्यकता आधारित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रस्तुति : औपचारिक प्रणाली के विपरीत, जो काफी हद तक शिक्षक द्वारा संचालित है, ODL प्रणाली शिक्षार्थी केंद्रित है। शिक्षार्थी स्व.प्रेरित होता है और वह अपने शिक्षण का प्रभार ले सकता है, जो स्व. शिक्षण सामग्री की सहायता से होता है, (SIMs) विशेष रूप से स्वायत्त सीखने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। सिम के स्थान पर मीडिया के बहुत विकल्प उपलब्ध है, जिनमें से कुछ शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच द्वि–मार्गीय अंतर्क्रिया संभव बनाते हैं।

आजीवन काम करने वाले वृत्तिकों और अन्य लोगों के लिए : जैसे कि शिक्षकों, विकास श्रमिकोंए और अन्य लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने की आवश्यकता है, उनके कार्यस्थल को छोड़े बिना वृत्तिक विकास के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सूचना और ज्ञान लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, पूर्व ज्ञान समान्यतया बहुत तेजी से अप्रचलित हो जाता है, नवीनतम जानकारी और कौशल का अधिग्रहण शिक्षार्थी की सुविधा और गति के अनुकूल है और आजीवन शिक्षा के लिए एक सुविधाजनक उपाय है।

अप्राप्तकर्ता तक पहुँचना : भारत में, जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अभी भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था से बाहर है, जो कई कारणों से अप्राप्त है। ये अधिकतर हाशिए के वर्गों, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों, महिलाओं के वर्गों से संबद्ध है जो विभिन्न कारणों से उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये लोग, जो अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं, ओडीएल को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रवेश द्वार पाते हैं। खुली शिक्षा प्रणाली ने महिलाओं, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए वाले वर्गों, रक्षा कर्मियों, जेल कैदियों, एलजीबीटी समुदाय के लोगों जैसे विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो अपनी गति, स्थान और समय पर अध्ययन कर सकते हैं।

जीईआर के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता : मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम व्यवस्था सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जीईआर भारत में उच्च शिक्षा में एक विशेष स्तर पर अध्ययन के लिए नामांकित छात्रों की संख्या को इंगित करता है। भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3% (AISHE रिपोर्ट 2018–19) था। यह संख्या इंगित करती है कि लगभग 75% योग्य संख्या अभी भी महाविद्यालयों और

Varanasi jail inmate bags IGNOU gold medal

PTI New Delhi | Updated on January 23, 2018 | Published on August 09, 2015

In a first, a 23-year-old prisoner lodged in Varanasi central jail has been awarded a gold medal by the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) for topping in Diploma in Tourism Studies (DTS).

Ajeet Kumar Saroj, a culpable homicide convict, was yesterday escorted to the

विश्वविद्यालयों से बाहर है, सरकार ने 2020–21 तक इसे 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच की गुणवत्ता और विस्तार को बढ़ाने पर भी ज़ोर देती है। यह आगे बताती है, सभी प्रकार के संस्थानों को अपने प्रसार को बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने, जीईआर बढ़ाने और आजीवन सीखने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ओडीएल कोर्सेज को प्रारंभ करने की अनुमति दी जा सकती है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग : ओडीएल प्रणाली में शिक्षा दूर से संभव है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध तकनीकों की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। मुद्रित सामग्री के उपयोग से जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसमें विभिन्न मीडिया का उपयोग करके शिक्षा मुद्रित शिक्षण सामग्री का सहयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षार्थियों के पास घर पर या अध्ययन केंद्रों में प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हो। इसके अलावा, ODL प्रणाली के लिए, विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों तक पहुंचना, केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संभव है।

लचीले सीखने के विकल्प : कार्यक्रम इस तरह से बनाए गए हैं जो शिक्षार्थियों को लचीलापन और चयन प्रदान करते हैं। वे कई पाठ्यक्रमों के लिए विकल्प चुन सकते हैं, उनकी आवश्यकता और वरीयताओं के आधार पर, आवश्यकतानुरूप कई क्रेडिट प्राप्त करते हैं और कार्यक्रम से बाहर निकलते हैं। कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश और निकास बिंदु उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन : ओडीएल राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में उभरा है, विशेषकर जब यह बड़ी संख्या में शिक्षित या प्रशिक्षण से संबंधित हो। उदाहरण के लिए, विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ते थे, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही विद्यालयों में पढ़ाने के पात्र हैं। अप्रशिक्षित शिक्षकों, जिनकी संख्या लाखों में है, की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इग्नू और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने लाखों शिक्षकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम क्या है?

अब तक, आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली के रूप में ओडीएल की प्रकृति के बारे में एक विचार मिल गया होगा। इग्नू में एक शिक्षार्थी के रूप में आपके अपने अनुभव ने आपको व्यवस्था और उसके कार्यतंत्र की कुछ समझ बनाने में सहायता की होगी।

शब्द **मुक्त** शब्द का अर्थ दर्शन से है, जो व्यक्तियों के लिए खुला है, और जो विचार है। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि लोगों को उनके स्थान, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि या शैक्षिक योग्यता का विचार किए बिना शैक्षिक अवसर खोलना। प्रणाली लचीली है और

शिक्षार्थी को उसकी गति, समय तथा स्थान के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देती है और शिक्षार्थी तक पहुंचता है, शिक्षार्थी सीखने के लिए संस्थान में नहीं आते हैं।

शब्द **''दूरस्थ शिक्षण''** शिक्षण की विधा को संदर्भित करता है जहां शिक्षक और शिक्षार्थी समय और स्थान में अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। अध्ययन केंद्रों पर मुद्रित सामग्री, विभिन्न संचार माध्यम और सामयिक परामर्श सत्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां छात्र और परामर्शदाता, जो सीखने की सामग्री विकसित करने वाले शिक्षकों से अलग हैं, आमने-सामने की नीति से मिलते हैं और परामर्शदाता शिक्षार्थियों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के साथ.साथ पाठ्यक्रम से जुड़ी शैक्षणिक समस्याओं का ध्यान रखते हैं। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन निरंतर और सत्र समाप्ति पर मूल्यांकन की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ODL व्यवस्था के क्या मुख्य उद्देश्य हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

12.4 मुक्त एवं दूरस्थ संस्थानों के प्रकार और प्रकृति

भारत में ओडीएल कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली संस्थाएँ विभिन्न प्रकार की हैं। ये संस्थान या तो एकलरूप अर्थात् मात्र ओडीएल प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, अथवा द्विरूपी (अर्थात् औपचारिक फेस-टू-फेस कार्यक्रमों के साथ.साथ ओडीएल कार्यक्रमों प्रस्तुत करते हैं), ऐसे संस्थानों की सूची दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ओडीएल कार्यक्रमों के मुख्य रूप से एकल मोड प्रदाता ओडीएल विश्वविद्यालय हैं, जैसे IGNOU और राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। द्विरूपी प्रदाता विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय हैं, जो अधिकतर दूरस्थ शिक्षा निदेशालय व संस्थानों के माध्यम से कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (01)

1985 में इग्नू की स्थापना से पहले, आंध्र प्रदेश में एकल राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कार्य करता था। उच्च शिक्षा तक पहुँचने के इच्छुक लोगों की बढ़ती संख्या और औपचारिक प्रणाली के माध्यम से ऐसा करने में असमर्थता के कारण राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) संसद के एक अधिनियम सं. 50(1985) द्वारा एक मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में देश के राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना में दूरस्थ शिक्षा का परिचय और शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए तथा इस तरह की प्रणालियों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करने के लिए स्थापित किया गया था।

इग्नू अधिनियम (1985) के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं :

- किसी भी संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित विभिन्न साधनों द्वारा सीखने और ज्ञान को आगे बढ़ाना और प्रसारित करना,
- जनसंख्या के एक बड़े भाग को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना,
- आम तौर पर समुदाय के शैक्षिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए,
- देश की शैक्षिक संरचना में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और
- ऐसी प्रणालियों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करना।

इग्नू को नामांकन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है और यह 56 क्षेत्रीय केंद्रों के अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, 3000 से अधिक सीखने वाले सहायता केंद्रों और विशेष अध्ययन केंद्रों की मदद से 30 लाख से अधिक शिक्षार्थियों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (14) : राज्यों में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राज्यों में शिक्षार्थियों की विविध और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है। यदि आवश्यक हो तो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तुत किए जाने वाले नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वह क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में भारत में (2019–20) तक, विभिन्न राज्यों में चौदह राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। इनकी सूची नीचे दी गई है :

डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (BRAOU),हैदराबाद,आंध्रप्रदेश
वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा,राजस्थान
नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय (NOU), पटना, बिहार
यशवन्त राव चौहाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (YCMOU), नासिक, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय (MPBOU), भोपाल, मध्यप्रदेश,
डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (BAOU), अहमदाबाद, गुजरात,
कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (KSOU), मैसूर, कर्नाटक,
नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय (NSOU), कोलकाता, पश्चिम बंगाल,
उ0प्र0 राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU), इलाहाबाद, उ0प्र0,
तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय(TNOU), चेन्नई, तामिलनाडु,
प0 सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय (PSSOU), बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तरांचल,
के0के0 हाडिंक राज्य वि0वि0, गुवाहाटी,असम,
ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, सम्भलपुर, ओड़िशा

दूरस्थ शिक्षा संस्थान/निदेशालय

देश के कई केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा संस्थान या दूरस्थ शिक्षा निदेशालय भी कार्यरत हैं। इन संस्थानों/निदेशालयों में से अधिकांश दोहरी रीति के

विश्वविद्यालयों का हिस्सा हैं। इन सभी संस्थानों को यूजीसी के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी) से मान्यता प्राप्त है और विभिन्न विषयों में कार्यक्रम प्रदान करते हैं। 2019–20 में, देश में लगभग 194 ऐसे संस्थान थे। डीईबी इन संस्थानों को यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 के अनुसार दूरस्थ मोड में कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए मान्यता देता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) भारत की उच्च शिक्षा में IGNOU (इग्नू) के प्रमुख योगदानों पर चिंतन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.5 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन

संस्था की प्रकृति के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन परिवर्तित होता रहता है। आप देख सकते हैं कि एकल मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय/संस्थान तंत्र/संरचनाएं, दोहरी रीति बाल विश्वविद्यालय संस्थान से पूरी तरह से अलग होती हैं। आइए निम्नलिखित के अंतर्गत दोनों प्रकार के संस्थानों का व्यवस्था में देखते हैं :

12.5.1 शासन

एक एकल रीति वाले मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय में, आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबंधन करने के लिए अकादमिक विद्यापीठों, प्रभागों, क्षेत्री, केंद्रों और अध्ययन केन्द्रों की एक जटिल संरचना होती हैं। ओडीएल विश्वविद्यालय के कामकाज को समझने के लिए इग्नू के संगठनात्मक ढांचे का उदाहरण लेते हैं। इस संरचना का अनुसरण अन्य राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने की संभावना अधिक रहती है।

इग्नू अधिनियम, (1985) के अनुसार, निम्नलिखित निकाय इसके प्रशासन का हिस्सा हैं। हम विश्वविद्यालय के कामकाज को सुविधाजनक बनाने में इन निकायों द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा करेंगे–

- प्रबंधक मंडल
- अकादमिक परिषद
- अनुसंधान परिषद
- योजना मंडल
- अध्ययन विद्यापीठ (स्कूल्स ऑफ स्टडीज)

- वित्त समिति

प्रबंधक मंडल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BOM): विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और गतिविधियों के संगठन से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय, अर्थात् अवसंरचना विकास, वितरण प्रणाली की स्थापना, बाहरी एजेंसियों के साथ सहकारिता और सहयोग आदि, प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं।

अकादमिक परिषद (AC): विश्वविद्यालय का प्रमुख अकादमिक निकाय है। यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों और विश्वविद्यालय में छात्र के प्रदर्शन के निर्देश और मूल्यांकन के मानकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

अनुसंधान परिषद अपने अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित मामलों के लिए विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक निकाय है। यह विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों और विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों एम.फिल./पी.एच.डी. आदि के मानकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

योजना मंडल की परिकल्पना विश्वविद्यालय के लिए ''चिन्तन कोश'' के रूप में की गई है। यह विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय है। इसकी उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों और गतिविधियों को प्रारूप बनाना और निरूपित करना है। यह आशा की जाती है कि यह बोर्ड नए कार्यक्रम तैयार करने और विश्वविद्यालय को सामान्य सलाह और निर्देश देगा। यह परिप्रेक्ष्य नियोजन के साथ.साथ समय.समय पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी है।

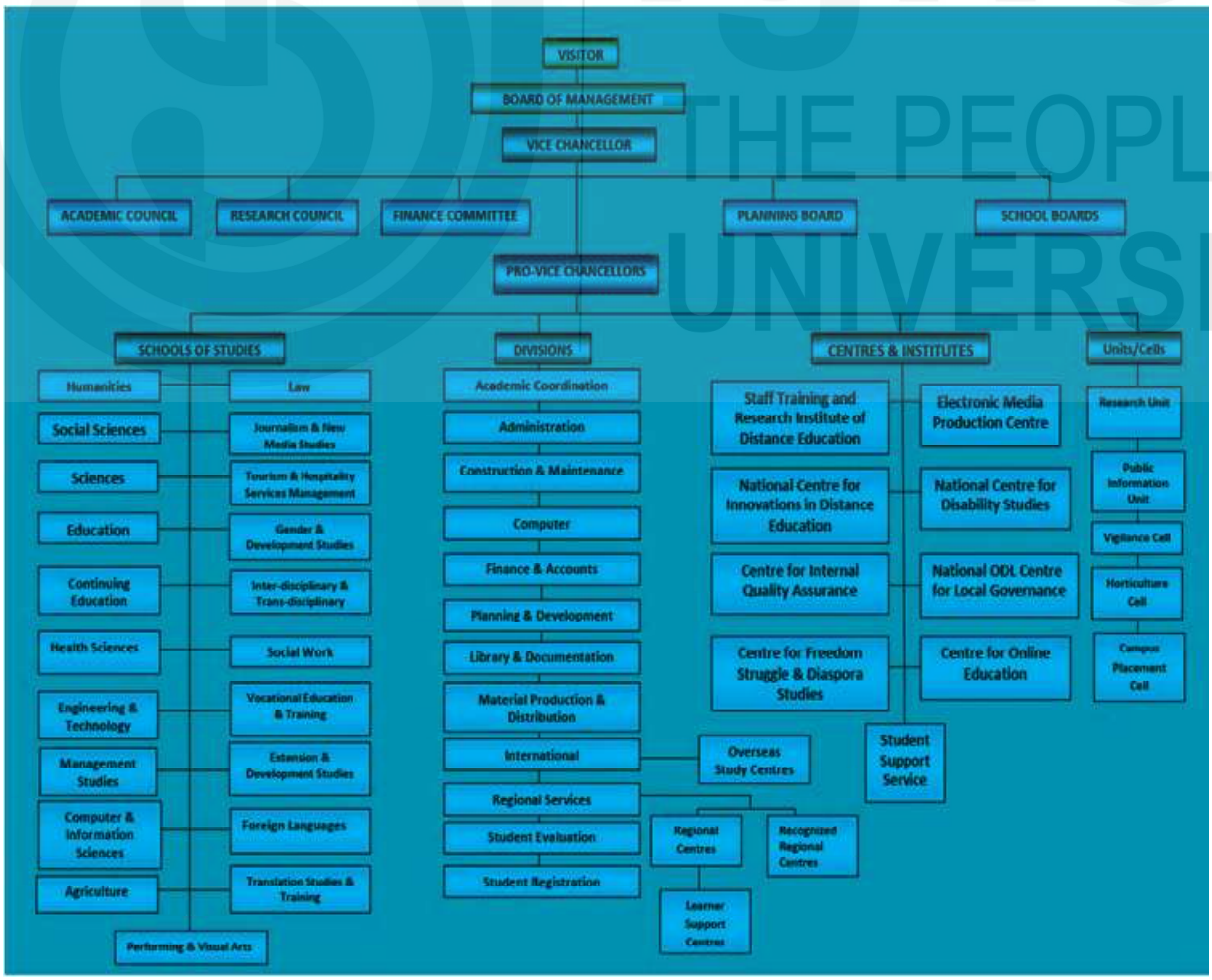

चित्र 12.1: इग्नू की संगठनात्मक संरचना

स्रोत: http://ignou.ac.in/userfiles/Organ laxBukRed-Structure.kzpg

अध्ययन विद्यापीठ (स्कूल्स ऑफ स्टडीज) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संगठन के बुनियादी इकाइयों के रूप में, विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यों को करते हैं। उदाहरणार्थ, अध्ययन के कार्यक्रमों को बताना, पाठ्यक्रमों का प्रारूप तथाए पाठ्यक्रम तैयार करने, उनकी सामग्री और संरचना का निर्धारण करने, अधिगम संपुष्टि का उत्पादन तथा विकास करना और विकास और सीखने के पैकेज उत्पादन के मुख्य कार्य करते हैं। प्रत्येक विद्यापीठ एक विद्यापरिषद होता है, जिसमें आंतरिक सदस्य और बाहर के विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं जो अकादमिक मामलों पर चर्चा करते हैं और विचार.विमर्श करते हैं, और पाठ्यक्रम डिजाइन करने, उनकी सामग्री और संरचना का निर्धारण करने और पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बोर्ड विशेषज्ञ समितियों की सलाह पर पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार पाठ्यक्रम को भी अनुमोदित करता है। विद्या परिषद से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिगम सामग्री के विकास और तैयारी की विधियों, पहले से ही लागू पाठ्यक्रम का संशोधन करने और कार्यक्रमों के वितरण की व्यवस्था की भी समीक्षा करें।

वित्त समिति वार्षिक बजट तैयार करने और कुल आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय के लिए सीमा तय करती है। यह प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पहले ग्रेड के संशोधन, आय सीमाओं का उन्नयन, आदि से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करता है। यह वित्त अधिकारी द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों और वित्तीय अनुमानों पर विचार करता है, इससे पहले कि वे प्रबंधन बोर्ड में प्रस्तुत किए जायें।

दोहरी रीति वाले विश्वविद्यालयों में, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय (DDE) समान निकायों के अनुसार कार्य करता है। BOM प्रत्येक विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती है, उनके पास BOM के स्थान पर SENATE; COURT या कार्यकारी परिषद हो सकते हैं। उनके पास विद्यापरिषद नहीं हो सकते हैं, लेकिन शैक्षणिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए उनके संकायों या विभागों में फैकल्टी बोर्ड या अध्ययन बोर्ड (BOS) हो सकते हैं।

12.5.2 पदाधिकारी

सभी विश्वविद्यालयों में अधिकांश वरिष्ठ पदाधिकारी एक ही हैं, लेकिन मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालयों में, हम एक बार फिर से इग्नू का उदाहरण लेते हैं, ताकि मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली में प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिका को समझा जा सके।

कुल पति : किसी भी अन्य विश्वविद्यालय की तरह, कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य अकादमिक और कार्यकारी अधिकारी होते हैं। कुलपति प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद्, योजना बोर्ड और वित्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। यह देखना कुलपति का कर्तव्य है कि विश्वविद्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिनियमों, विधियों, अध्यादेशों और नियमों का विधिवत पालन किया जाए।

समकुलपति (प्रो.वाइस.चांसलर) : समकुलपति को कुलपति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है, वे वरिष्ठ प्रबंधन का एक हिस्सा हैं। प्रत्येक समकुलपति को कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों को सौंपा जाता है जैसे, अध्ययन विद्यापीठ सहायता सेवाएं, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इत्यादि की देखरेख कसार विश्वविद्यालय के संविधि के अनुसार, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एक से अधिक समकुलपतियों का प्रावधान है।

निदेशक : सभी विद्यापीठों की अध्यक्षता निदेशकों द्वारा की जाता है, जिन्हें तीन वर्षों की अवधि के लिए कालकमानुसार नियुक्त किया जाता है। यह स्थिति पारंपरिक विश्वविद्यालयों के समकक्ष है। अध्ययन विद्यापीठों के अलावा, वहाँ अन्य प्रभाग/इकाइयां हैं। एक

कार्यात्मक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी प्रत्येक 'क्षेत्रीय सेवाएं' अकादमिक समन्वय, अनुसंधान इकाई, आदि और उनमें से प्रत्येक एक निदेशक के नेतृत्व में है।

विद्यापीठों और प्रभागों के निदेशक प्रशासनिक और वित्तीय दोनों शक्तियों का उपयोग करते हैं। उनकी प्रशासनिक शक्तियां आम तौर पर उनके संबंधित विद्यापीठों/प्रभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में पर्यवेक्षी होती हैं, वे विद्यापीठों और प्रभागों को सौंपे गए कार्यों और कार्यों के निष्पादन के लिए भी उत्तरदायी हैं।

कुलसचिव (रजिस्ट्रार) : कुलसचिव (प्रशासन) विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और सम्पत्ति का संरक्षक है, और नोटिस जारी करने, बैठकों को बुलाने, सभी विश्वविद्यालय निकायों को एजेंडा और मिनट तैयार करनके लिए सचिवीय सहायता प्रदान करता है। वह सभी बाहरी एजेंसियों और संगठनों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। वह सचिवीय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक अधिकारी भी है।

इसके अलावा, इग्नू के तीन प्रमुख परिचालन प्रभागों विद्यार्थी नासोकन प्रभाग SRD), और सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग (MPDD) के लिए भी रजिस्ट्रार हैं। ये विभाजन क्रमशः प्रवेश, परीक्षा और सामग्री उत्पादन और वितरण मामलों को देखते हैं।

वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की संपत्तियों और निवेशों का प्रबंधन करता है, विश्वविद्यालय को अपनी वित्तीय नीतियों पर सलाह देता है, यह सुनिश्चित करता है कि वित्त समिति द्वारा आवर्ती और गैर.आवर्ती व्यय के लिए एक वर्ष के लिए तय सीमाएं पार नहीं की गई हैं, वह वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है और विश्वविद्यालय के नकदी और व्यय पर निरंतर निगरानी रखता है।

12.5.3 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षातंत्र

अपने कार्यों को करने के लिए, मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली को निम्न उप-प्रणालियों के साथ कार्य करने वाली प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है;

- पाठ्यक्रम संरचना और विकास
- छात्र सहायता सेवाएँ
- उत्पादन और सामग्री का वितरण
- प्रबंधन और प्रशासनिक सहायता

पाठ्यक्रम संरचना विकास और वितरण के लिए अध्ययन विद्यापीठ उत्तरदायी है। अकादमिक परिषद ने कुछ विषयों को अध्ययन विद्यापीठ को सौंपा, जिसमें उन विषयों के संकाय सदस्य हैं। विद्यापीठ के संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर के क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित करके कार्यक्रम को संरचित, विकसित और वितरित करते हैं। ऑडियो/वीडियो सामग्री विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो कि कार्यक्रम का एक भाग भी है, विश्वविद्यालय के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र (EMPC) नामक एक समर्पित विभाग है। अध्ययन विद्यापीठ और प्रोड्यूसर मुद्रित शिक्षण सामग्री का समर्थन करने के लिए ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम विकसित करते हैं, साथ ही ज्ञानवाणी एफएम रेडियो स्टेशन और ज्ञान दर्शन (24 घंटे दूरदर्शन शैक्षिक चौनल) के माध्यम से भी शिक्षार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं।

छात्र समर्थन एक मुक्त एवं दूरस्थ कार्यक्रम की सफलता की कुंजी है और स्वयं संस्थान भी। शिक्षकों की अनुपस्थिति में, छात्रों को स्वयं से समर्थन की आवश्यकता होती है। ओडीएल संस्थान में पूर्व.प्रवेश सूचना, कार्यक्रम और प्रस्ताव पर पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, मार्गदर्शन और परामर्श, परीक्षा और परिणाम घोषणा आदि से लेकर सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय के पास शिक्षर्थी सहायता केन्द्रों का एक विशाल नेटवर्क है। विभिन्न शहरों और कस्बों में, अधिकतर पारंपरिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मामलों में शिक्षार्थियों के समर्थन के लिए, परामर्शदाता द्वारा किए गए परामर्श के माध्यम से विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त और प्रशिक्षित किए जाते हैं। इग्नू के लिए लगभग 67 क्षेत्रीय केंद्र और 1961 शिक्षार्थी सहायता केंद्र कार्यरत हैं।

अपने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के कारण, इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र न केवल राज्यों की राजधानियों में, बल्कि विभिन्न भौगोलिक स्थानों को आच्छादित करने के लिए कुछ प्रमुख शहरों में भी स्थित हैं। क्षेत्रीय केंद्रों का नेतृत्व एक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसकी क्षेत्र के भीतर मुख्य जिम्मेदारी स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रयासों को निर्देशित करना है, और अपने क्षेत्र में केंद्रों के माध्यम से शिक्षार्थी सहायता प्रणाली के काम का समन्वय करना है।

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी) में, शिक्षार्थियों को शैक्षिक परामर्श, ऑडियो सुनने और और वीडियो कार्यक्रमों देखने की सुविधा के रूप में महत्वपूर्ण मानवीय समर्थन प्राप्त होता है। एलएससी की स्थापना, शिक्षार्थियों की संख्या और उनके भौगोलिक वितरण के आधार पर की जाती है। यहाँ के कर्मचारी इग्नू के लिए अंशकालिक काम करते हैं और मुख्य रूप से सूत्रधार संस्थान से होते हैं, जहां एलएससी को स्थापित जाता है। अधिकांश यह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में रखे जाते हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, विश्वविद्यालय के पास क्षेत्रीय सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए एक अलग प्रभाग है जिसे क्षेत्रीय सेवा प्रभाग कहा जाता है।

छात्र प्रवेश और पंजीकरण के लिए एक प्रभाग, विद्यार्थी पंजीकरण प्रभाग (एस आर डी) और परीक्षाओं के लिए, एक और प्रभाग छात्र मूल्यांकन प्रभाग(एसईडी) अध्ययन विद्यापीठों तथा क्षेत्रीय केंद्रों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते हैं।

सामग्री उत्पादन और वितरण विभाग किसी भी मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय/संस्थान की प्रमुख सहायता सेवाओं में से एक है। इग्नू में, इस कार्य को करने के लिए, सामग्री उत्पादन और वितरण प्रभाग (एमपीडीडी) नामक एक अलग प्रभाग की स्थापना की गई है। यह शिक्षार्थियों के प्रवेश चक्र के अनुसार, शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री को उत्पादित और प्रेशित करता है।

कंप्यूटर डिवीजन, प्रशासनिक प्रभाग, नियोजन प्रभाग जैसे प्रभाग भी हैं, जो विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यशैली का समर्थन करते हैं।

गतिविधि 1

किसी राज्य विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखिए तथा विभिन्न उप–व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय के कार्यों के विषय में सूचनायें एकत्र करिए। उनकी तुलना इग्नू की संरचना से कीजिए तथा अपना चिंतन लिखिए।

12.5.4 नियामक तंत्र

प्रारंभ में, इग्नू अधिनियम के तहत दूरस्थ शिक्षा परिषद (DEC) में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम व्यवस्था में मानकों को बनाए रखने और समन्वय करने की शक्ति निहित थी। इसके बाद इसे DEC, IGNOU से UGC में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) में स्थानांतरित कर दिया गया। 2018 में, दूरस्थ शिक्षा विनियमन विधेयक पेश किया गया था और यूजीसी ने इसके लिए मानदंडों को अधिसूचित किया था। बाद में, इग्नू को इससे छूट दी गई। इन बदलाओं को नीचे दिए गए चार्ट से समझा जा सकता है।

वर्ष	विवरण
1985	संसद द्वारा इग्नू एक्ट पारित कर दिया गया तथा ओडीएल व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार हेतु इग्नू को उत्तर दायित्व दिया गया।
1997	ओडीएल व्यवस्था में मानकों के अनुरक्षण तथा समन्वयन के लिए इग्नू के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा परिषद (क्म्ब्) की स्थापना की गई।
2013	डीईसी को भंग कर दिया गया। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो(यूजीसी के अंतर्गत) नें कार्य करना प्रारंभ किया।
2019	यूजीसी ने इग्नू को ओडीएल के नियमों से मुक्त कर दियज्ञं

चित्र 12.2: भारत में ODL के लिए विनियामक तंत्र का इतिहास

उपरोक्त चित्र 12.2, देश में ODL प्रणाली के नियामक तंत्र के प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है। 1962 के बाद से, जब दोहरी नीतिक विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू हुए, तो DDE द्वारा प्रस्तावित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी था। 1985 में IGNOU की स्थापना नहीं हुई थी और IGNOU अधिनियम में कोई बाहरी तंत्र नहीं था, इस लिए ODL प्रणाली में गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करने और बनाए रखने की उत्तरदायित्व दिया गया। परिणामस्वरूप, दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) जो 1997 में स्थापित हुई थी, को इग्नू के ढांचे के भीतर भारत में दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। समय बीतने के साथ, एक संस्था के भीतर नियामक की उपस्थिति को हितों के टकराव के रूप में माना गया और यह सुझाव दिया गया था कि यह IGNOU को बाहर कर दिया गया DEC को 2013 में भंग कर दिया गया था, और UGC ने इसके दायरे में काम करने के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) की स्थापना की।

2017 में, यूजीसी ने यूजीसी ने ओडीएल प्रणाली में मानकों को निर्धारित करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिसूचित किया, जिनका पालन राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सहित सभी ओडीएल संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

यूजीसी ने 2019 में इग्नू के जनादेश, भूमिका और संरचना को ध्यान में रखते हुए इग्नू को ओडीएल विनियमों से मुक्त कर दिया। इससे इग्नू पर उसके शिक्षण. अधिगम में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी आ गई है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) एक मुक्त दूरस्थ प्रणाली के अधिगमकर्त्ता के रूप में कौन सी उपव्यवस्था आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और क्यों ? अपने अनुभव के आधार पर अपने शब्दों में लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

12.6 ऑनलाइन शिक्षा

आधुनिक विकास, जैसे– प्रौद्योगिकी के उद्भव और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में तकनीकी हस्तक्षेप पर बढ़ता फोकस मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ODL) की जटिलता को बदल रहे हैं। इन विकासों के प्रभाव के कारण लोगों ने ODL को ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग के रूप में संदर्भित किया है और कुछ मामलों में ODL अर्थात् ओपन डिस्टेंस और ई.लर्निंग सिस्टम कहा जा रहा है। इसकी लोकप्रियता और उपयोग का सुझाव है कि ऑनलाइन शिक्षा, ओडीएल का भविष्य है। चलिए, इसके विभिन्न आयामों को निम्नलिखित बिन्दुओं में देखते हैं :

12.6.1 अर्थ और परिभाषा

जब आप ऑनलाइन शिक्षा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो कुछ शब्दों को अपने मस्तिष्क में लाने का प्रयास करें। ये शायद इंटरनेट, वेब, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ई-लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, आदि होंगे, अब सवाल आता है कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है?

आमतौर पर, ऑनलाइन शिक्षा वह शिक्षा है जो इंटरनेट पर होती है। इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है, हालांकि कई वेबसाइटों और लेखकों ने इसे अलग.अलग तरीकों से समझाया है। उदाहरण के लिए, Indian Education पर एक वेब लेख में इसे निम्नरूप में में परिभाषित किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक रूप से समर्थित अधिगम है जो कि शिक्षक/छात्र अतःक्रिया के लिए और कक्षा सामग्री के वितरण के लिए इंटरनेट पर निर्भर करता है।

सादिकुव अन्य (2018) ने ऑनलाइन शिक्षा को ''दूरस्थ शिक्षा के रूप में और वेब.आधारित शिक्षा, ई.लर्निंग, और डिजिटल लर्निंग के रूप में माना है। यह इंटरनेट पर प्रस्तुत किया जाता है और वेब.आधारित सामग्री और गतिविधियों का उपयोग करता है।''

जॉन्स (2020), एनसाइक्लोपीडिया : कॉम, इसे ''इंटरनेट के माध्यम से सीखने के रूप में परिभाषित करता है। ऑनलाइन सीखने से शिक्षकों को उन छात्रों तक पहुंचने का मौका मिलता है, जो पारंपरिक कक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और ऐसे छात्रों का समर्थन करते हैं जिन्हें अपने समय पर और अपनी गति से काम करने की आवश्यकता होती है''।

इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है, लेकिन ऊपर दी गई परिभाषाएं हमें ऑनलाइन शिक्षा का विचार देती हैं :

क्या इनको पढ़ने के बाद, आप ऑनलाइन शिक्षा को परिभाषित कर सकते हैं?

12.6.2 ऑनलाइन शिक्षा के लाभ

ऑनलाइन शिक्षा लोकप्रिय हो गई है लेकिन लोग प्रायः इसके उपयोग को लेकर चिंता करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं :

समय और स्थान का लचीलापन : मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) प्रणाली की तरह, ऑनलाइन शिक्षा सीखने वाले को समय और गति के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करती है। आभासी शिक्षा खुलापन और लचीलापन प्रदान करती है क्योंकि सीखने वालों के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि कार्यक्रमों की प्रकृति, उनकी अवधि, क्रेडिट की संख्या, प्रवेश और निकास बिंदु, आदि। यह लचीलापन और चयन कई कार्यशील वृत्तिकों और उत्साही जीवन-पर्यंत शिक्षार्थियों को भारत और विदेशों में संस्थानों द्वारा दिए जा रहे ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सक्षम बनाता है।

लागत प्रभावशीलता एक और कारण है कि शिक्षार्थी ऑनलाइन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। औपचारिक शिक्षा की तुलना में, ऑनलाइन शिक्षा में कार्यक्रम का विकास करने की लागत में सम्मिलित है। सीखने सामग्री, व्याख्यान या एक वीडियो/ऑडियो, आदि, इसके निष्पादन और इंटरनेट डेटा लागत, जो औपचारिक संस्थान द्वारा लागत के अनुरक्षण से कम है, जो भारत जैसे देशों में, इंटरनेट डेटा लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, कार्यक्रम की समग्र लागत कम और सस्ती हो जाती है। कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम औसत शुल्क शिक्षार्थियों की सीमा के भीतर हैं, खासकर यदि कोई प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में **समकक्ष (Peer) व्यक्ति** से सीखना संभव है। चूंकि विभिन्न संस्कृतियों, समाजों, राष्ट्रों के शिक्षार्थी एक साथ आते हैं, उनके अनुभव और कहानियां एक साथ होती हैं, उनके कार्यों को टीमों में दिया जा सकता है, सहयोगी और सहकर्मी सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। मुद्दों और समस्याओं पर एक-दूसरे के साथ चर्चा की जाती है और सभी प्रतिभागी एक-दूसरे से सीखते हैं। यह एक पारंपरिक शिक्षक कक्षा में संभव नहीं हो सकता है।

ऑनलाइन कार्यक्रमों से मुक्त और दूरस्थ कार्यक्रम से अधिक लाभ कारी होता है। वहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतर्क्रिया के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होते है। असिंक्रोनस टूल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप सिंक्रोनस टूल जैसे चर्चा मंच (Discussion forum) शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतर को कम करने में सहायता करते हैं। ऑनलाइन शिक्षण में लगातार प्रतिक्रिया का प्रावधान है और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के अवसर भी हैं।

गतिविधि 2

किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए आवश्यकताएँ, शिक्षण–अधिगम विधियाँ तथा आकलनात्मक युक्तियों के बारे में जानिए और उनकी तुलना अपने अनुभव से कीजिए, एक मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली के विद्यार्थी के रूप में ऑनलाइन शिक्षा से होने वाले लाभों तथा चुनौतियों को लिखिए।

12.7 भारत में ऑनलाइन शिक्षा

भारत में ऑनलाइन शिक्षा तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में, कई कंपनियों, ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं और शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों का उद्भव हुआ है, जनसांख्यिकीय लाभांश और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या ने इस उद्यम की ओर बहुत सारे सेवा प्रदाताओं को आकर्षित किया है। पहले से ही लोगों ने बैंकिंग, शॉपिंग और सोशल नेटवर्किंग के लिए कई ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। शिक्षा अगली बड़ी ऑनलाइन सेवा है।

सरकार डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा मंत्रालय ने 'स्वयं' SWAYAM; www.swayam.gov.in) नाम से ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहाँ विभिन्न संस्थानों द्वारा विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जा रही है।

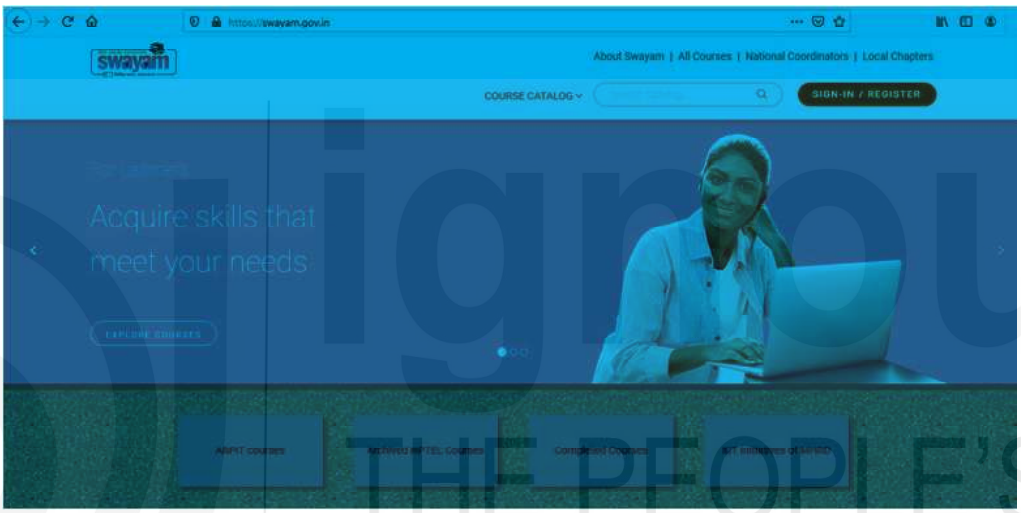

SWAYAM को शिक्षा के तीन प्रधान सिद्धांतों अर्थात पहुंच, समता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।

SWAYAM के माध्यम से, उन शिक्षार्थियों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सबसे अधिक वंचित हैं। वर्तमान में SWAYAM कक्षा 9 वीं कक्षा से पाठ्यक्रम प्रदान करता है और प्रत्येक पाठ्यक्रम को एक चार खंडीय (क्वाड्रेंट) दृष्टिकोण अर्थात वीडियो व्याख्यानए ई.पाठ (पढ़ने की सामग्री), चर्चा मंच और आत्म.मूल्यांकनए नौ (09) निकायों के साथ सूत्रधार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा को SWAYAM पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये हैं : ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग (NPTEL), यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (CEC), नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS), इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंटए बैंगलोर (IIMB) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च (NITTR)।

SWAYAM शिक्षार्थियों को निःशुल्क पाठ्यक्रम प्रदान करता है, हालांकि प्रमाणन के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

SWAYAM के अलावाए ऑनलाइन प्रोग्राम, पाठ्यक्रम या सामग्री प्रदान करने वाले कई अन्य प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ तक शिक्षार्थियों द्वारा पहुँचा जा सकता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) www.swayam.gov.in वेबसाइट पर जाइए तथा उन कोर्सेज/कार्यक्रमों को पहचानिए जिन्हें राष्ट्रीय समन्वयक समन्वित कर रहे हैं।उन क्षेत्रों की सूची बनाइए जिन्हें ये राष्ट्रीयसमन्वयक पूरा कर रहे है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.8 ऑनलाइन शिक्षा के लिए नियामक तंत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को विनियमित किया जा रहा है, जो भारत में उच्च शिक्षा का शीर्ष नियामक निकाय है। इस संबंध में, तीन प्रमुख दस्तावेज हैं जो विनियमों की व्याख्या करते हैं। ये हैं :

1) SWAYAM के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क, विनियमन (2016) तथा

2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम विनियम (2018)

3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ तथा आनलॉइन) विनिमय–2020 के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियमन, (2016) मूल रूप से विश्वविद्यालयों के विनियामक ढांचे में ऑनलाइन MOOC पाठ्यक्रम के एकीकरण और मान्यता देने के बारे में बात करता है। इस दस्तावेज का प्रस्ताव है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय सेमेस्टर के माध्यम से प्रदान किए गए ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक सेमेस्टर में एक विशेष कार्यक्रम में पेश किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के 20% तक की अनुमति देगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी यूजी/पीजी कार्यक्रम में किसी विशेष विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक नियमित छात्र किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है, और उस पाठ्यक्रम के क्रेडिट को मूल विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। छात्रों को नियमित पाठ्यक्रम के रूप में अपने मूल विश्वविद्यालय में उस पाठ्यक्रम को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम) विनियम, 2018 ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नियमों और विनियमों की व्याख्या करता है। ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल उन विषयों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं जिनमें यह पहले से ही समान

या समान पाठ्यक्रम या कार्यक्रम नियमित रीति में, कक्षा में शिक्षण के लिए सामना करने के लिए, या मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम रीति में पेश करते हैं और जिसमें से कम से कम एक बैच उत्तीर्ण हो गया है। इसका अपवाद यह है कि पाठ्यक्रम या आवश्यकता के रूप में प्रैक्टिकल या प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों की आवश्यकता वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित नहीं किया जा सकता है।

ये नियम यूजीसी से उचित अनुमोदन के साथ पूर्ण रूप से ऑनलाइन मोड में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रदान करने के लिए संस्थानों की सुविधा प्रदान करते हैं।

12.9 सारांश

इकाई ने मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने के साथ प्रारंभ हुई और विभिन्न प्रकार के एकल रीति और दोहरी रीति के संस्थानों पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर चर्चा की।

मुक्त एवं दूरस्थ संस्थानों के प्रबंधन पर चर्चा करते हुए, इकाई ने विभिन्न निकायों और प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जैसे, कि प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद, अनुसंधान परिषद, योजना बोर्ड, अध्ययन विद्यापीठ और वित्त समिति और वीसी, पीवीसी, निदेशक, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी आदि सहित विभिन्न कार्यकारीं इकाई को पाठ्यक्रम संरचना, विकास और वितरण कार्यक्रमों, छात्र समर्थन सेवाओं, उत्पादन और सामग्री के वितरण में एक ओडीएल संस्था के विभिन्न उपप्रणालियों की भूमिका और प्रबंधन और प्रशासनिक सहायता पर प्रकाश डाला है।

ODL में गुणवत्ता आश्वासन और नियमन के लिए, इकाई ने एक नियामक निकाय के रूप में DEB की भूमिका पर प्रकाश डाला और UGC के तहत IGNOU, दूरस्थ शिक्षा परिषद (DEC) और उसके बाद दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) की स्थापना से अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया।

अंत में, ऑनलाइन शिक्षा के उद्भव, अर्थ, विशेषताओं और लाभों पर चर्चा हुई। इकाई ने SWAYAM के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और UGC द्वारा सुझाए गए नियमों के साथ भारत सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

12.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

- http://www.aurumequity.com/the-online-education-ind Industries-in- india-pret- and- fvc /k~
- https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/05/Online-Education-in-India-2021.pdf
- https://eduxpert.in/online-education-india/k~
- https://mhrd.gov.in/e-contents
- https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrdf/iles/document-reports/madhava_menon_committee_on_odl_2.pdf
- https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186501
- https://www.ccaurora.edu/programs-classes/online-learning/benefits-online-lucation

- https://www.indiaeducation.net/online-education/articles/what-is-online-education.html
- https://www.ugc.ac.in/deb/pdf/DistanceEducationInstitutions-Directorate%20DistanceEducation.pdf
- स्टर्न, जे इनट्रोडक्शन टु ऑनलाइन टीचिंग एण्ड लर्निंग, http://www.wlac.edu/online/documents/otl.pdf से प्राप्त
- सादिकु एमएनओ, अडोबो, पीओ और मूसा, एसएम (2018) ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 8(02) पृ. 73–75

12.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एक जीवन भर सीखने के अवसर के रूप में, अंगतव्य पर पहुँचने का उद्देश्य, जीईआर के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में।

2) अपने अधिगम के आधार पर चिंतन करें।

3) अपने अनुभवों के आधार पर अपना चिंतन लिखें।

4) वेबसाइट पर जाएं और सूची बनाएं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY